

भारत के
नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
राज्य वित्त
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

३१ मार्च २०१६

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष २०१६ का प्रतिवेदन



विषय सूची		
	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राककथन		v
विहंगावलोकन		vii-ix
अध्याय – 1		
राज्य सरकार के वित्त		
प्रस्तावना	1.1	1
चालू वर्ष के राजकोषीय लेने-देनों का सारांश	1.2	1
बजट अनुमान व वास्तविकता	1.3	3
राज्य के संसाधन	1.4	3
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	4
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	7
व्यय की गुणवत्ता	1.7	10
सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	12
परिसम्पत्तियाँ व देयताएँ	1.9	14
ऋण धारणीयता	1.10	15
राजकोषीय असंतुलन	1.11	16
निष्कर्ष	1.12	19
सिफारिशें	1.13	20
अध्याय–2		
वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	21
विनियोजन लेखों का सारांश	2.2	21
वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	22
व्यय की कमी के कारण समायोजित की गई वसूलियाँ	2.4	28
अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	2.5	29
अनुदान सं. 2 के पुनरीक्षण के निष्कर्ष— सामान्य प्रशासन	2.6	29
निष्कर्ष	2.7	31
सिफारिशें	2.8	31
अध्याय–3		
वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	35
निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा	3.2	36
दुर्विनियोजन, हानियाँ तथा गबन इत्यादि	3.3	37
व्यक्तिगत जमा खाते	3.4	37
असमायोजित सार आकस्मिक बिल	3.5	37
उचंत शेष	3.6	38
निष्कर्ष	3.7	39
सिफारिशें	3.8	40

क्र.सं.	परिशिष्ट	पृष्ठ
1.1	राज्य की रूपरेखा (दिल्ली)	41
1.2	सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट	43
1.3	राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आँकड़े	45
1.4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ	48
1.5	वर्ष 2014–15 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार	49
2.1	₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के अनुदानों की सूची	55
2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त पड़े थे	59
2.3	वर्ष 2014–15 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है	67
2.4	अधिक/अनावश्यक पूरक प्रावधान	68
2.5	अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)	69
2.6	निधियों के ₹ एक करोड़ से अधिक तथा मूल प्रावधान के 60 प्रतिशत के अभ्यर्पण के मामले	75
2.7	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिसमें बचत हुई परन्तु जिसका कोई अंश अभ्यर्पित नहीं हुआ की विवरणी	78
2.8	₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचत का विवरण जो कि अभ्यर्पित नहीं की गई	78
2.9	अवास्तविक बजटीकरण जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान सीएसएस तथा एससीएसपी योजना के अन्तर्गत अप्रयुक्त रहा	79
2.10	वर्ष 2014–15 के अन्त में व्यय का द्रुतप्रवाह	83
2.11	पूंजीगत शीर्ष के बजाय राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत गलत वर्गीकरण की सारणी	85
2.12	बचतें जो लौटाई नहीं गई	89
2.13	2012–13 से 2014–15 तक के अनावश्यक पूरक प्रावधान	89
3.1	निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली सारणी	90

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अन्तर्गत राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में रखने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जाँच के उपरान्त सामने आए मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सम्मिलित किया गया है।

वर्तमान वर्ष के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन पर अध्याय 3 विहंगावलोकन तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना की स्थिति को दर्शाता है।

इस प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों की लेन-देनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा, बोर्ड तथा सरकारी कम्पनियों एवं राजस्व क्षेत्र के प्रतिवेदन की अभ्युक्तियों को पुथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।



विहंगावलोकन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के वित्तों का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के मुख्य राजकोषीय संबंधी विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है।

अध्याय 2 विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, दर्शाता है।

अध्याय 3 दिल्ली सरकार की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा स्थिति है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय 1 राज्य सरकार के वित्त

राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से ₹ 1,603.90 करोड़ (5.73 प्रतिशत) से बढ़ गई। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व ₹ 685.21 करोड़ (2.64 प्रतिशत) से बढ़ गये। जबकि गैर-कर राजस्व ₹ 26.60 करोड़ (4.04 प्रतिशत) से घट गई तथा भारत सरकार के अनुदान ₹ 945.28 करोड़ (67.38 प्रतिशत) से बढ़ गये। 2014–15 में राज्य का अपना कर राजस्व का अंश कुल राजस्व प्राप्तियों का 89.92 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा पैरा 1.5.1)

चालू वर्ष के दौरान ₹ 23,509.49 करोड़ का राजस्व व्यय गत वर्ष के व्यय से ₹ 1,142.97 करोड़ (5.11 प्रतिशत) से बढ़ गया है। 2014–15 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय (ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर) का 84.22 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 303.48 करोड़ घट गया। वर्ष 2014–15 के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) का केवल 15.78 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

सरकार ने ₹ 17,660.35 करोड़ सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा कॉपरेटिवों में निवेश किया हुआ था (31 मार्च 2015)। इन निवेशों पर लाभ 0.07 प्रतिशत था जबकि 2014–15 के दौरान सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर भुगतान किए गए ब्याज का औसत दर 8.59 प्रतिशत था।

(पैरा 1.8.1)

राज्य की संपूर्ण राजकोषीय देयतायें 2010–11 के ₹ 30,140.09 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 32,497.91 करोड़ (7.82 प्रतिशत) हो गई। 2014–15 के अंत में की राजकोषीय देयताये राजस्व प्राप्तियों का 1.10 गुणा तथा राज्य के अपने संसाधनों का 1.19 गुणा थी।

(पैरा 1.9.2)

मुख्य राजकोषीय पैरामीटर के संदर्भ में राजकोषीय स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व आधिक्य पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 460.93 करोड़ बढ़ गया था। 2013–14 का ₹ 3,942.71 करोड़ राजस्व घाटा 2014–15 में ₹ 218.83 करोड़ के राजकोषीय आदि ताक्य में परवर्तित हो गया तथा 2013–14 के दौरान ₹ 1,118.42 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2014–15 में ₹ 2,992.83 करोड़ के प्राथमिक आधिक्य में परवर्तित हो गया।

(पैरा 1.11.1)

अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2014–15 के दौरान, ₹ 37,117.99 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजनों में से ₹ 31,024.14 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6,093.85 करोड़ की बचत हुई। ₹ 6,093.85 करोड़ की कुल बचत में से राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत 13 अनुदानों एवं एक विनियोजन (लोक ऋण) में ₹ 4,295.73 करोड़ की बचत और पूँजीगत क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 1,798.12 करोड़ की बचत हुई।

(पैरा 2.2)

वर्ष 2014–15 के विनियोजन लेखे दिखाते हैं कि छः अनुदानों तथा एक विनियोजन से सम्बन्धित 24 मामलों में से प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं, जिनका कुल योग ₹ 2,743.11 करोड़ था।

(पैरा 2.3.1)

वर्ष 2014–15 में दो अनुदानों में ₹ 3.51 करोड़ का अधिक व्यय था जिसकी 2006–07 से 2013–14 से संबंधित अनुदान में ₹ 79.99 करोड़ के अधिक व्यय के साथ–साथ संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किये जाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 2.3.4 तथा 2.3.5)

दो उपशीर्षों में ₹ 68.44 करोड़ की राशि के पूरक अनुदान उच्च/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे। जबकि, अंतिम व्यय अब भी मूल अनुदान/विनियोग से भी कम था।

(पैरा 2.3.6)

10 अनुदानों तथा एक विनियोजन (प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक की बचतों का संकेत दिया गया था) के अंतर्गत ₹ 5,598.47 करोड़ की बचतों में से ₹ 3,320.93 करोड़ (बचतों की राशि का 59.32 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.3.9)

वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान अनुदान सं. 2–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत बारह मामलों/उप–शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक की स्थायी बचतें थी। नौ मामलों में व्यय का पूर्ण श्रेणीवार विभाजन किये बगैर ₹ 10 लाख से अधिक के एकमुश्त प्रावधान किये गये थे।

(पैरा 2.6)

अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को जारी ऋणों और अनुदानों हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) को प्राप्त करने में विलंब था। मार्च 2014 तक दिए गए ₹ 24,384.05 करोड़ की राशि के कुल 4211 अनुदानों में से, मार्च 2015 के अन्त तक ₹ 17,720.49 करोड़ के 3761 उ.प्र. विभिन्न विभागों से प्रतीक्षित थे। बकाया 3761 उ.प्र. में से ₹ 13,494.18 करोड़ के 2585 उ.प्र. (68.73 प्रतिशत) दो से 10 वर्ष से बकाया थे, जबकि ₹ 4,226.31 करोड़ के 1176 उ.प्र. (31.27 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।

(पैरा 3.1)

वर्ष 2013–14 तक तीन स्वायत निकायों/प्राधिकरणों के 16 वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु 31 मार्च 2015 तक प्रस्तुत नहीं किये गये।

(पैरा 3.2)

31 मार्च 2015 को ₹ 254.76 करोड़ की बड़ी राशि उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया थी जिनका समाशोधन तथा वर्गीकरण लेखों के उचित शीर्षों के अंतर्गत किए जाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 3.6)

अध्याय—1
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय—१

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार के वित्तों का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है और गत पाँच वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयन में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं: (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं – समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि। दिल्ली में लोक लेखे नहीं हैं। ऋण से संबंधित लेन-देनों (उन के अलावा जो लघु बचत योजनाओं से संबंधित हैं), जमाओं, अग्रिमों, प्रेषणों तथा उचंत का संघ सरकार के लोक लेखे में विलय किया जाता है। राज्य की राजकोषीय देयताओं में लघु बचत संग्रह शामिल है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शेष को विलय किया गया जो संघ सरकार के सामान्य रोकड़ के शेष का भाग बनता है और इसे सरकार के पास जमा के रूप में माना जाता है। दिल्ली, संघीय क्षेत्र होने के कारण केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत समाविष्ट नहीं हैं। दिल्ली को संघीय करों व शुल्कों के राजकीय अंश के बदले केवल विवेकाधीन अनुदान प्राप्त है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा

दिल्ली, देश की राजधानी, 1,483 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है। यह 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. की औसत जनसंख्या घनत्व सहित घनी आबादी वाला राज्य है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2014–15 में ₹ 4,51,153.65 करोड़ था। इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) पिछले दशक में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत स.रा.घ.उ. (15.44 प्रतिशत) की तुलना में उच्च दर पर (16.36 प्रतिशत) बढ़ा है। (**परिशिष्ट 1.1**)। भारत के स.घ.उ. तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. की वर्तमान मूल्यों पर वार्षिक वृद्धि के रुझान **परिशिष्ट 1.4** में प्रदर्शित है।

1.1 प्रस्तावना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे 16 विवरणियों में निर्धारित हैं जिनमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि व आकस्मिक निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व के साथ-साथ पूंजीगत प्रस्तुत की गई हैं (**परिशिष्ट 1.2**)।

1.2 चालू वर्ष के राजकोषीय लेने-देनों का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2014–15) के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट 1.3** प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण तथा चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण देता है।

तालिका 1.1
चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
	2013-14	2014-15		2013-14	2014-15		
खण्ड—अ राजस्व	कुल	कुल	खण्ड—अ राजस्व	कुल	गैर योजनागत	योजनागत	कुल
राजस्व प्राप्तियाँ	27980.69	29584.59	राजस्व व्यय	22366.52	15563.19	7946.30	23509.49
कर राजस्व	25918.69	26603.90	सामान्य सेवाएँ	5597.48	5828.78	154.62	5983.40
गैर—कर राजस्व	659.14	632.54	सामाजिक सेवाएँ	12314.54	6344.87	6961.24	13306.11
			आर्थिक सेवाएँ	3650.01	2488.54	830.45	3318.99
भारत सरकार से अनुदान	1402.86	2348.14	सहायता अनुदान तथा अंशदान	804.50	900.99	-	900.99
खण्ड—ब पूँजीगत			खण्ड—ब पूँजीगत				
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			पूँजीगतव्यय	4707.42	4.82	4399.12	4403.94
ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ	802.92	227.61	संवितरित ऋण व अग्रिम	5652.37	45.70	1634.24	1679.94
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ*	4162.89	1764.32	सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान*	1325.29	1346.73	-	1346.73
प्रारंभिक नकद शेष [†]	1985.75	880.65	अंतिम नकद शेष [†]	880.65	-	-	1517.07
कुल	34932.25	32457.17		34932.25	-	-	32457.17

*भारत सरकार से ऋण व अग्रिम सम्बद्धित हैं जो प्रमुखतः छोटी बचतों में अंश के रूप में है।

भक्ति व अग्रिमों की वसूलियाँ भारत सरकार के सामान्य नकद शेष में जोड़ा जाता है।


(झोत: वर्ष 2014–15 की दिल्ली के वित्त लेखों तथा प्र. लेखा, कार्यालय, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार)

पिछले वर्ष की तुलना में 2014–15 के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 1,603.90 करोड़ (5.73 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। कर राजस्व में ₹ 685.21 करोड़ (2.64 प्रतिशत) व गैर—कर राजस्व में ₹ 26.60 करोड़ (4.04 प्रतिशत) की कमी हुई तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों में ₹ 945.28 करोड़ (67.38 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- राजस्व व्यय में ₹ 1,142.97 करोड़ (5.11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पूँजीगत व्यय में ₹ 303.48 करोड़ (6.45 प्रतिशत) की कमी हुई।
- ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ ₹ 575.31 करोड़ (71.65 प्रतिशत) से घटी जबकि ऋणों का संवितरण ₹ 3972.43 करोड़ (70.28 प्रतिशत) घटी।
- सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ ₹ 2,398.57 करोड़ (57.62 प्रतिशत) से घटी जबकि पुनर्भुगतान ₹ 21.44 करोड़ (1.62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- 2014–15 की समाप्ति पर नकद शेष पिछले वर्ष से ₹ 636.42 करोड़ (72.27 प्रतिशत) से बढ़ा।

1.3 बजट अनुमान व वास्तविकता

राजस्व प्राप्तियों व व्यय के अन्तर्गत बजटीय व वास्तविक आँकड़े चार्ट 1.1 में दर्शाए गए हैं।




जैसा कि चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, कई प्रमुख मापदण्डों के मामले में अनुमान व वास्तविकता में उल्लेखनीय भिन्नता है। वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ व राजस्व व्यय दोनों लक्ष्यों से कम थे। राजकोषीय आधिकार्य ₹ 354 करोड़ अनुमानित राजकोषीय घाटे की तुलना में ₹ 219 करोड़ था तथा प्राथमिक आधिकार्य अनुमानित ₹ 2720 करोड़ की तुलना में ₹ 2993 करोड़ था।

1.4 राज्य के संसाधन

1.4.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन


राजस्व व पूँजी प्राप्तियों की दो प्रकार हैं जिनसे राज्य सरकार के संसाधन बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान आते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियाँ, ऋण प्राप्तियाँ तथा भा.स. से ऋण व अग्रिम साथ ही लोक लेखों की जमाएँ आती हैं। तालिका 1.1 वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ एवम् संवत्तिरण जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखों में दर्ज है, प्रस्तुत करती है, जबकि चार्ट 1.2 2010-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ दर्शाता है।




रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ 2010-11 के 83.83 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 93.69 प्रतिशत थी।

1.5 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के कर व गैर-कर राजस्व व भा.स. से सहायता अनुदान शामिल हैं। 2010-11 से 2014-15 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ व संरचना परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत की गई है तथा क्रमशः चार्ट 1.3 व चार्ट 1.4 में भी दर्शाई गई है।





2013–14 में कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 27,980.69 करोड़) में राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 25,918.69 करोड़) का अंश 92.63 प्रतिशत था जो कि 2014–15 में आंशिक रूप से घटकर 89.92 प्रतिशत हो गया। 2010–15 की अवधि के दौरान गैर कर राजस्व में उत्तर–चढ़ाव था। दिल्ली का गैर कर राजस्व 2010–11 में ₹ 4,188.95 करोड़ था किंतु यह 2011–12 में ₹ 460.87 करोड़ तक तेजी से घट गया और फिर 2014–15 में इसमें सुधार होकर ₹ 632.54 करोड़ हो गया। कुल प्राप्तियों में गैर कर प्राप्ति का अंश 2010–11 में 16.74 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 2.14 प्रतिशत था जो एक उचित प्रवृत्ति नहीं है। स.रा.घ.उ. के सम्बन्ध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.2 में प्रस्तुत की गई हैं:

तालिका 1.2 स.रा.घ.उ. के सम्बन्ध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	25024.10	22393.17	25560.97	27980.69	29584.59
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	22.36	(-)10.51	14.15	9.47	5.73
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	9.90	7.80	7.63	7.15	6.56
उत्प्लावकता अनुपात					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.39	(-)0.77	0.85	0.56	0.37
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की अपनी कर उत्प्लावकता	1.40	1.56	1.04	0.63	0.17

(लोत: संबंधित वर्षों के लिए दिल्ली सरकार के वित्त लेख)

राजस्व प्राप्तियों में 2010–15 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई, वर्ष 2011–12 को छोड़कर जिस दौरान राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से ₹ 2,630.93 करोड़ कम हो गई। 2014–15 की राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 5.73 प्रतिशत बढ़ गई जबकि स.रा.घ.उ. में वृद्धि 15.35 प्रतिशत रही (परिशिष्ट 1.4)। चालू वर्ष में स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की कर उत्प्लावकता पिछले वित्तीय वर्ष से 0.63 प्रतिशत से कम हो कर 0.17 प्रतिशत हो गई।


2010–11 में स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की कर राजस्व उत्पादकता उच्च थी (स.रा.घ.उ. में प्रति एक प्रतिशत वृद्धि पर राज्य के कर राजस्व में 1.40 प्रतिशत वृद्धि)। यह 2011–12 के दौरान बढ़कर 1.56 प्रतिशत हो गयी, परंतु यह प्रवृत्ति जारी न रह पाई। 2013–14 में यह कम होकर 0.63 प्रतिशत और 2014–15 में 0.17 प्रतिशत हो गई।

1.5.1 राज्य के अपने संसाधन

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2010–15 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। यह 2013–14 के राजस्व प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2014–15 में 5.73 प्रतिशत तक बढ़ गई। कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2010–11 में 65.85 प्रतिशत से बढ़कर 2014–15 में 89.92 प्रतिशत हो गया। कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर प्राप्तियों का अंश 2010–11 में 16.74 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 2.14 प्रतिशत हो गया। सहायता अनुदानों का अंश 2010–11 में 17.41 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 7.94 प्रतिशत हो गया।

कर राजस्व

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कर राजस्व के घटक चार्ट 1.5 में दिए गए हैं:



स्रोत: वित्त लेखे 2013–14 एवं 2014–15

कर राजस्व चालू वर्ष के दौरान (₹ 26,603.90 करोड़) विगत वर्ष (₹ 25,918.69 करोड़) की तुलना में ₹ 685.21 करोड़ (2.64 प्रतिशत) तक बढ़ा। राजस्व में प्रमुख योगदान बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों से था जिसका कुल कर राजस्व में 68.78 प्रतिशत का योगदान था तथा गत वर्ष से यह 2.08 प्रतिशत बढ़ा था।

राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत संग्रह पूर्व वर्ष से 2014–15 के दौरान क्रमशः ₹ 270.76 करोड़ (8.59 प्रतिशत) बढ़ा जबकि स्टाम्प ड्यूटी ₹ 189.19 करोड़ (6.37 प्रतिशत) घटी। इसी प्रकार, वाहनों पर कर व अन्य करों (भूमि तथा राजस्व सहित) का अंशदान क्रमशः ₹ 149.55 करोड़ (10.61 प्रतिशत) व ₹ 90.49 करोड़ (19.65 प्रतिशत) बढ़ा।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व जो 2014–15 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.14 प्रतिशत था, वर्ष 2010–11 से ₹ 3,556.41 करोड़ (84.90 प्रतिशत) कम हो गया।

1.5.2 संग्रहण की लागत

वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्ति का सकल संग्रह, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता निम्नवत् है:

तालिका 1.3
संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	राजस्व संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2012-13	15803.69	75.70	0.48
	2013-14	17925.71	72.56	0.40
	2014-15	18289.31	49.26	0.27
राज्य उत्पाद शुल्क	2012-13	2869.74	23.67	0.82
	2013-14	3151.63	13.01	0.41
	2014-15	3422.39	5.29	0.15
वाहनों पर कर	2012-13	1240.18	28.91	2.33
	2013-14	1409.28	33.63	2.38
	2014-15	1558.83	31.49	2.02

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014–15 के दौरान वाहनों पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा बिक्री इत्यादि पर कर के सम्बन्ध में संग्रहण लागत का प्रतिशत पिछले वर्ष की अपेक्षा घट गया।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग


1.6.1 व्यय की वृद्धि व संरचना

राज्य अपने कार्यों के निष्पादन को पूरा करने, सामाजिक व आर्थिक सेवाओं की पूर्ति करने की अपनी वर्तमान प्रकृति बनाए रखने, पूँजीगत व्यय व निवेश द्वारा इन सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार करने तथा अपनी ऋण सेवाओं की बाध्यता के निर्वहन हेतु संसाधन उत्पन्न करते हैं। राज्य का कुल व्यय 2010–11 में ₹ 24,731.27 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 29,593.37 करोड़ हो गया।

चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय ₹ 29,593.37 करोड़ विगत वर्ष से ₹ 3,132.94 करोड़ (9.57 प्रतिशत) घटा है। कुल कमी में से, पूँजीगत व्यय ₹ 303.48 करोड़ तथा ऋण व अग्रिमों में


₹ 3972.43 करोड़ था, जबकि राजस्व व्यय में ₹ 1,142.97 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय के अंश में कमी राज्य द्वारा निधि के कम उत्पादक आवंटन का संकेतक है। विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय 2010–11 में ₹ 14,381.74 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 23,509.49 करोड़ हो गया जो 63.47 प्रतिशत की वृद्धि थी। तुलनात्मक रूप में पूँजीगत व्यय जो 2010–11 में ₹ 3,984.80 करोड़ था, 2014–15 में बढ़कर ₹ 4,403.94 करोड़ हो गया और इस अवधि के दौरान 10.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

पूँजीगत व्यय व राजस्व व्यय 2010–11 में कुल व्यय (ऋण व अग्रिम को छोड़कर) का क्रमशः 21.70 प्रतिशत तथा 78.30 प्रतिशत थे जबकि 2014–15 में ये क्रमशः 15.78 प्रतिशत व 84.22 प्रतिशत थे। योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय 2013–14 में ₹ 12,165.21 करोड़ था जो की 2014–15 में ₹ 180.21 करोड़ की वृद्धि दर्ज कर ₹ 12,345.42 करोड़ हो गया जबकि गैर–योजनागत व्यय 2013–14 में ₹ 659.27 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 14,908.73 करोड़ से 2014–15 में ₹ 15,568.01 करोड़ हो गया। वर्ष 2014–15 के दौरान कुल व्यय का योजनागत एवं गैर–योजनागत व्यय का अंश क्रमशः 44.23 प्रतिशत तथा 55.77 प्रतिशत था (लोन तथा अग्रिम को छोड़कर)। **चार्ट 1.6** 2010–15 की अवधि के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करता है:




‘आर्थिक वर्गीकरण’ एवं ‘कार्यकलापों से व्यय’ दोनों के संबंध में संरचना को क्रमशः **चार्ट 1.7** एवं **1.8** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.7 : कुल व्यय इसके घटकों के अंश में प्रवृत्तियां



चार्ट 1.8 : कुल व्यय : क्रियाकलपो द्वारा संघटक तथा प्रवृत्तियां



चार्ट 1.8 दर्शाता है कि 2010–15 के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 16.15 प्रतिशत से बढ़कर 21.47 प्रतिशत हो गया जबकि सामाजिक सेवाओं का अंश 37.42 प्रतिशत से बढ़कर 49.46 प्रतिशत हो गया। जबकि उसी अवधि के दौरान ऋण तथा अग्रिम पर कुल व्यय 25.74 प्रतिशत से घटकर 5.68 प्रतिशत हो गया।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छे सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत् मूल रूप से तीन पहलू जैसे, व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय के प्रयोग में दक्षता तथा उपयुक्तता (कुछ चुनिंदा सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण) सम्मिलित हैं।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक अवसंरचना संबंधी व्यय के उत्तरदायित्व को संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रमुखतः राज्य सरकारों को सौंपे जाते हैं। इस प्रकार, राज्यों में सामाजिक विकास स्तरों को बढ़ाने हेतु प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय को बढ़ाया जाना आवश्यक है। किसी क्षेत्र की राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय से व्यय श्रेणी का अनुपात) निम्न मानी जाएगी यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम हो। **तालिका 1.4** 2014–15 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय व पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाता है।

तालिका 1.4

2011–12 और 2014–15 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता**	कु.व्य. / स.रा. घ.उ.	वि.व्य.*/ कु.व्य.	सा.से.व्य. / कु.व्य.	पू.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी राज्य' औसत (अनुपात) 2011-12	15.98	65.39	36.63	13.23	17.10	4.68
दिल्ली राज्य का औसत (अनुपात) 2011-12	8.82	79.02	51.58	15.82	18.76	10.37
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	16.49	69.12	36.50	14.01	16.23	5.04
दिल्ली राज्य का औसत (अनुपात) 2014-15	6.56	75.33	53.85	14.88	22.15	11.77

**स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में

कृव्यः कृल व्यर्थः

वि.व्य.: विकास व्यय

सासेव्यः सामाजिक सेवा व्यय पंव्यः

पूँव्यः पूँजीगत व्यय

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल हैं।

* सामान्य श्रेणी राज्यों में तीन राज्य—दिल्ली, गोवा व पुढुचेरी शामिल नहीं हैं।

स्रोत : स.रा.घ.ज. हेतु सूचना राज्य के अर्थशास्त्र व सांख्यिकीय निदेशालय से संग्रहित है।

राजकोषीय प्राथमिकता व्यय किसी विशेष व्यय शीर्ष को दिया जाने वाला महत्व है। उपरोक्त तालिका 2011–12 तथा चालू वर्ष 2014–15 में रा.रा.क्षे. दिल्ली के व्यय की विभिन्न श्रेणियों को दी गयी राजकोषीय प्राथमिकता की सामान्य श्रेणी के राज्यों (सा.श्रे.रा.) से तुलना प्रस्तुत करता है।

- स.रा.घ.उ. के अनुपात में दिल्ली का कुल व्यय सा.श्रे.रा. की तुलना में 2011–12 एवं 2014–15 दोनों वर्षों में निम्न था।
- सरकार ने वि.व्य. को 2011–12 एवं 2014–15 में राजकोषीय प्राथमिकता दिया क्योंकि इसका कु.व्य. से अनुपात सा.श्रे.रा. के औसत अनुपात से अधिक था।
- सा.श्रे.रा. की तुलना में कु.व्य. में पू.व्य.का अनुपात 2011–12 में अधिक एवं 2014–15 में आंशिक रूप से कम था।
- 2011–12 में कु.व्य. का शिक्षा पर व्यय का अनुपात सा.श्रे.रा. से आंशिक रूप से अधिक था तथा पुनः 2014–15 में बढ़ गया था।
- 2011–12 एवं 2014–15 दोनों वर्षों में दिल्ली में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता सा.श्रे.रा. से बहुत ज्यादा थी।

1.7.2 प्रयुक्त व्यय की दक्षता

सामाजिक व आर्थिक विकास पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों द्वारा व्यय के पुर्णगठन हेतु समुचित उपाय करे जायें तथा विशेषतः हाल के वर्षों में ऋण सेवा में कमी के कारण राजकोष में उत्पन्न स्थान को ध्यान में रखकर विकास व्यय हेतु आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त मौलिक, सार्वजनिक तथा श्रेष्ठ वस्तुओं के प्रावधान पर बल दिया जाना चाहिए। **तालिका 1.5** तथा **चार्ट 1.9** चालू वर्ष तथा विगत वर्षों के दौरान विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.5

विकास व्यय

(₹ करोड़ में)


विकास व्यय के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					Budget Estimates	Actual
विकास व्यय (नीचे क से ग तक)	17631.45	20004.27	20802.05	25808.13	24466.62	22292.18
क. विकास राजस्व व्यय	10111.26	12889.33	14088.26	15964.55	18373.64	16625.10
ख. विकास पूँजीगत व्यय	3720.25	3815.45	3979.76	4441.95	4503.71	4032.84
ग. विकास ऋण व अग्रिम	3799.94	3299.49	2734.03	5401.63	2092.15	1634.24

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित लेखे

*मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ वे हैं जो सभी नागरिक साथ-साथ उपयोग करते हैं अर्थात् ऐसी वस्तु के किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के उपयोग में कमी नहीं आती है, यथा कानून व्यवस्था लागू करना, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा, प्रदूषणमुक्त वायु व पर्यावरणीय वस्तुएँ व सड़क अवसंरचना, इत्यादि।

योग्यतामूलक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज को वे आवश्यकता की एक संकल्पना के आधार पर मिलने चाहिए, न कि सरकार को भुगतान करने की क्षमता या इच्छा के कारण। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं पोषाहार हेतु निर्धनों को निशुल्क व रियायती भोजन, जीवन की गुणवत्ता सुधारने तथा रूपनता कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सभी को मौलिक शिक्षा प्रदान करना, पेय जल व स्वच्छता, इत्यादि।

चार्ट 1.9 : वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए विकास व्यय



2014-15 के दौरान राजस्व एवं पूँजीगत के अन्तर्गत वास्तविक विकास व्यय अनुमानों से क्रमशः ₹ 1,748.54 करोड़ तथा ₹ 470.87 करोड़ कम था। यह दर्शाता है कि बजट अनुमानों को तैयार करते समय विभिन्न योजनागत योजनाओं का क्रियान्वयन करने में क्रियान्वयन एजेंसियों की तैयारी का आकंलन नहीं किया गया।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान वास्तविक विकास राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय क्रमशः 64.42 प्रतिशत व 8.40 प्रतिशत बढ़े। विकास पूँजीगत व्यय विगत वर्ष से 2014-15 में ₹ 409.11 करोड़ से घट गया तथा विकास ऋण व अग्रिम ₹ 3,767.39 करोड़ से घट गया।

1.8 सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश तथा अन्य पूँजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2015 तक, सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 17,660.35 करोड़ का निवेश किया था। इस निवेश पर प्रतिफल 2014-2015 में बहुत कम 0.07 प्रतिशत था। 2010-15 के दौरान प्रतिफल 0.07 तथा 0.37 प्रतिशत के बीच था। सरकार ने 2014-15 के दौरान अपने उधारों पर औसतन 8.59 प्रतिशत ब्याज दर चुकाया। तालिका 1.6 में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.6

निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारों की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वर्ष के अन्त तक निवेश	12616.58	14655.90	16388.15	17060.35	17660.35
प्रतिफल	46.59	33.00	26.25	11.95	12.90
प्रतिफल (%)	0.37	0.23	0.16	0.07	0.07
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (%)	9.10	9.77	9.73	9.21	8.59
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अन्तर (%)	8.73	9.54	9.57	9.14	8.52

पिछले राजकोषीय वर्ष की अपेक्षा 2014–15 में निवेश में वृद्धि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹ 600.00 करोड़ के नये निवेश के कारण थी। 23 कंपनियों में ₹ 17,660.35 करोड़ के कुल निवेश में से केवल पाँच कंपनियों जैसे (i) दिल्ली गृह वित्त सहकारी समिति लि., (ii) इंद्रप्रस्थ चिकित्सा निगम लि., (iii) दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति, (iv) पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम तथा (v) इंद्रप्रस्थ गैस लि. में मार्च 2015 तक ₹ 74.38 करोड़ का निवेश किया गया जिससे 2014–15 के दौरान ₹ 12.90 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ जो कि इन कंपनियों में निवेश का 17.34 प्रतिशत था।

1.8.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों व कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार संस्थानों/संगठनों को भी ऋण व अग्रिम प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2015 को कुल बकाया ऋण व अग्रिम ₹ 57,189.61 करोड़ था (तालिका 1.7)।

तालिका 1.7

राज्य सरकार द्वारा ऋणों व अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारों की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
प्रारंभिक शेष	45147.73	47877.9	50887.82	55737.28
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की राशि	3345.41	3734.83	5652.37	1679.94
वर्ष के दौरान पुनः भुगतान की राशि	376.25	724.90	802.91	227.61
अन्त शेष	48116.90	50887.82	55737.28	57189.61
निवल योग	2969.17	3009.93	4849.46	1452.33
ब्याज प्राप्तियाँ	174.14	340.03	379.35	350.52
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	0.36	0.67	0.68	0.61

राज्य स्तरीय संगठनों/संस्थानों के प्रति बकाया ऋण दिल्ली के रा.रा.क्षे. के कुल बकाया ऋणों का बहुत बड़ा भाग है। रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा बहुत से राज्य उद्यमों तथा संस्थाओं, जिनको ऋण एवं अग्रिम दिए गए थे, और 2014–15 के अंत में बकाया रह गए थे, वे जल आपूर्ति और सफाई प्रबंध (₹ 15,783.88 करोड़), शहरी विकास योजना (₹ 1,749.59 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 13,698.65 करोड़), पावर परियोजनाओं (₹ 10,450.52 करोड़) और विविध ऋण (₹ 14,909.19 करोड़) के क्षेत्रों में थे।

1.9 परिसम्पत्तियाँ व देयताएँ

1.9.1 परिसम्पत्तियाँ व देयताओं की वृद्धि व संरचना

सरकार के वर्तमान लेखाकरण प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों जैसे सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता। यद्यपि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं व किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाता है। परिशिष्ट 1.5 31 मार्च 2015 को ऐसी देयताओं व परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2014 को सम्बन्धित स्थिति से तुलना करते हुए प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट में दी गई देयताओं में भारत सरकार (भा.स.) द्वारा दिए केवल ऋण व अग्रिम ही सम्मिलित हैं। परिसम्पत्तियों में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजीगत परिव्यय व ऋण व अग्रिम तथा नकद शेष आते हैं।

1.9.2. राजकोषीय देयताएँ

तालिका 1.8 राज्य की राजकोषीय उत्तरदायित्व, उनके वृद्धि की दर, स.रा.घ.उ. से उनके उत्तरदायित्व का अनुपात राजस्व प्राप्तियाँ तथा राज्य के अपने संसाधनों का, इन मानदण्डों के संदर्भ में राजकोषीय उत्तरदायित्व की उत्प्लावकता को दर्शाती है।

**तालिका 1.8
राजकोषीय उत्तरदायित्व—मुख्य मानदण्ड**

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजकोषीय उत्तरदायित्व (₹ करोड़ में)	30140.09	29608.29	29242.71	32080.32	32497.91
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	13.55	-1.76	-1.23	9.70	1.30
राजकोषीय उत्तरदायित्व का अनुपात:					
स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	11.92	10.31	8.73	8.20	7.20
राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	120.44	132.22	114.40	114.65	109.85
अपने संसाधन (प्रतिशत)	145.84	144.91	121.55	120.70	119.32
राजकोषीय उत्तरदायित्व की उत्प्लावकता के संदर्भ में:					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	0.84	-0.13	-0.07	0.58	0.08
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.61	0.17	-0.09	1.02	0.23
अपने संसाधन (अनुपात)	0.61	1.55	-0.07	0.93	0.52

राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2010–11 में ₹ 30,140.09 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 32,497.91 करोड़ (7.82 प्रतिशत) हो गई। 2014–15 के दौरान ₹ 32,497.91 करोड़ की

राजकोषीय देयताओं में 'छोटी बचतों के संग्रह का अंश' की ₹ 29,171.51 करोड़, संसाधनों की कमी की पूर्ति हेतु ऋण ₹ 3,326.39 करोड़ तथा 'अन्य सहकारी समितियों को सहकारी सहायता' की ₹ 0.01 करोड़ की बाध्यताएँ थीं। 2014–15 की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएँ राजस्व प्राप्तियों का 1.10 गुणा तथा राज्य के अपने संसाधनों का 1.19 गुणा थी।

1.10 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरक्त राज्य की ऋण धारणीयता² का निर्धारण करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण की धारणीयता का निर्धारण ऋण स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में गैर-ऋण प्राप्तियों³ की पर्याप्तता, उधार ली गई निधियों⁴ की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान के भार (ब्याज भुगतानों से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में मापा जाता है।) तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता के आधार पर करता है। तालिका 1.9 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि हेतु इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता को दिखाता है।

तालिका 1.9
ऋण धारणीयता: संकेतक व प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण / स.रा.घ.उ. अनुपात	11.92	10.31	8.73	8.20	7.20
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन रिक्तता)	4210.52	(-)6274.57	821.95	790.57	(-)114.37
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	3595.88	(-)531.80	(-)365.58	2837.60	417.59
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियाँ अनुपात)	10.31	13.03	11.20	10.09	9.38

झौत: संकेतकों की गणना हेतु आँकड़े संबंधित वर्षों के लिए दिल्ली के वित्त लेखों तथा प्र.ले.का. दिल्ली से लिए गए हैं।

- 2010–11 में ऋण की वृद्धि दर (राजकोषीय देयता) 13.55 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 1.30 प्रतिशत हो गई (**तालिका 1.8**) तथा उसी अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. ने भी 16.14 प्रतिशत से 15.35 प्रतिशत (परिशिष्ट 1.4) तक की न्यूनतम कमी को दर्शा रहा था। इसके फलस्वरूप ऋण में स.रा.घ.उ. अनुपात 2010–11 में 11.92 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 7.20 प्रतिशत हो गया।

2 ऋण धारणीयता, राज्य द्वारा एक समयावधि के दौरान एक निश्चित ऋण—स.रा.घ.उ. अनुपात बनाए रखने की क्षमता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा इसमें इसके ऋण को क्रियान्वित करने की क्षमता के बारे में चिंता भी परिलक्षित होती है। अतः ऋण धारणीयता से तात्पर्य वर्तमान अथवा लक्षित दायित्वों की पूर्ति हेतु चल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा अतिरिक्त ऋणों की लागत, तथा इन ऋणों से प्राप्त प्रतिफलों के बीच संतुलन रखने की क्षमता भी होती है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय धारणे में वृद्धि का ऋण को क्रियान्वित करने की क्षमता से मेल होना चाहिए।

3 अभिवृद्धयात्मक ब्याज देयताओं व अभिवृद्धयात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हेतु राज्य की अभिवृद्धयात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता ऋण धारणीयता की प्राप्ति बहुत आसान हो जाएगी यदि अभिवृद्धयात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों से अभिवृद्धयात्मक ब्याज भार तथा अभिवृद्धयात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

4 इसे ऋण शोधन (मूलधन+ब्याजभुगतान) से कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं तथा यह दर्शाता है ऋण प्राप्तियाँ किस सीमा तक ऋण शोधन में प्रयुक्त हुए जिससे ऋण ली गई निधि की निवल उपलब्धता का पता चलता है।

- पिछले वर्ष की अपेक्षा 2014–15 में दोनों राजस्व प्राप्तियाँ व राजस्व व्यय क्रमशः ₹ 1,603.90 करोड़ व ₹ 1142.97 करोड़ बढ़े। पिछले वर्ष की तुलना में 2014–15 में ऋण तथा अग्रिम ₹ 575.31 करोड़ से घट गये। इसने संसाधनों के मध्य अंतर को प्रभावित किया तथा यह 2013–14 के ₹ 790.57 करोड़ से 2014–15 में (–) ₹ 114.37 करोड़ तक घट गया।
- ब्याज भुगतान के भार में तुलनात्मक मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई दी। यह 2010–11 में 10.31 प्रतिशत से बढ़कर 2011–12 में 13.03 प्रतिशत हो गया और फिर 2014–15 के दौरान राजस्व प्राप्ति में वृद्धि तथा कम ब्याज के भुगतान के कारण 9.38 प्रतिशत क्रमशः घट गया।


1.11 राजकोषीय असंतुलन


तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड – राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक घाटे – एक निर्दिष्ट समयावधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तों में सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा दर्शाते हैं। सरकारी खातों में घाटे इसकी प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अन्तर दर्शाते हैं। घाटे की प्रकृति, सरकार के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटों का वित्तीयकरण किया जाता है तथा संसाधन उत्पन्न किए जाते हैं, इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीयकरण की प्रवृत्तियों, प्रकृति, मात्रा तथा ढंग एवं राजस्व व राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण प्रस्तुत करता है।

1.11.1 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.10 व चार्ट 1.11 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटा संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित अधिशेष/घाटा की प्रवृत्ति को दर्शाता हैं।

चार्ट 1.10 : 2010-15 की अवधि से आगे घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियाँ





राजस्व अधिशेष राजस्व व्यय के ऊपर राजस्व प्राप्ति के आधिक्य को इंगित करता है। राज्य में 2010–15 के दौरान लगातार राजस्व आधिक्य हुआ। 2010–11 में यह ₹ 10,642 करोड़ था जो 2011–12 में घटकर ₹ 4,428.31 करोड़ हो गया 2014–15 में यह ₹ 6075.10 करोड़ था।

2010–15 के दौरान राजकोषीय घाटा राज्य के कुल उधार तथा संसाधन अंतर के मिश्रित आंकड़े प्रदर्शित करता है। 2010–11 में ₹ 729.60 करोड़ का राजकोषीय आधिक्य था जो 2011–12 में 2545.20 करोड़ के घाटे में बदल गया। राजकोषीय घाटा 2012–13 में ₹ 2284.95 करोड़ कम हो गया तथा 2013–14 में 3942.71 करोड़ फिर बढ़ गया। 2014–15 के दौरान राजकोषीय घाटा पुनः 218.83 करोड़ के आधिक्य में बदल गया।

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा के ऊपर प्राथमिक व्यय (ब्याज भुगतान के बाद कुल निवल व्यय) को दर्शाता है। 2010–11 में राज्य में प्राथमिक अधिशेष था जो कि 2013–14 में घटकर (-) ₹ 1,118.42 करोड़ की ऋणात्यक प्रवृत्ति को दर्शा रहा था, परन्तु यह 2014–15 में ₹ 2,992.83 करोड़ से बढ़ गया।

2014–15 में राजस्व प्राप्तियाँ 5.73 प्रतिशत तक बढ़ गई, किन्तु राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 5.11 प्रतिशत तक बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष अर्थात् 2013–14 की तुलना में राजस्व अधिशेष में ₹ 460.93 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक व इसके वित्तीयन प्रतिरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीयन प्रतिरूप को तालिका 1.10 में दिखाया गया है:

तालिका 1.10
राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	राजकोषीय घाटा / बचत*(-/+)	(+)729.60	(-)2545.20	(-)2284.95	(-)3942.71	218.83
2	राजस्व घाटा / अधिशेष(-/+)	10642.36	4428.31	4901.61	5614.17	6075.10
3	निवल पूँजीगत व्यय	(-)3984.80	(-) 4004.27	(-)4176.63	(-)4707.42	(-)4403.94
4	निवल ऋण तथा अग्रिम	(-)5927.96	(-)2969.17	(-)3009.93	(-)4849.46	(-)1452.32
राजकोषीय घाटे का वित्तीयन प्रतिरूप**						
1	भा.स. से ऋण	3595.88	(-)531.80	365.58	2837.60	417.60

*घाटे के आंकड़े—में तथा अधिशेष+ में दिखाए गए हैं

** ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बाह्य प्रवाह के हैं

(ज्ञोतः संबंधित वर्षों के वित लेखे तथा प्र.ल.का., दिल्ली)

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे को प्राथमिक राजस्व घाटे व पूँजीगत व्यय (ऋण व अग्रिमों सहित) में विखण्डित करने पर राज्य के वित्तों में घाटे की प्रकृति का संकेत मिलता है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि ऋण ली गई निधि किस सीमा तक वर्तमान उपभोग हेतु प्रयोग की गई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का निरंतर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार घट रहा था तथा ऋणों के एक भाग (राजकोषीय देयताएँ) हेतु कोई परिसम्पत्तीय पूर्ति नहीं थी। चूंकि 2010–15 की पूरी अवधि में दिल्ली का राजस्व अधिशेष रहा, इसलिए ऋण ली गई निधि को केवल पूँजीगत व्यय व ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया जैसा कि तालिका 1.11 में दिया गया है:

तालिका 1.11
प्राथमिक घाटा/अधिशेष—घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-3)	8(2-6)
2010-11	25460.87	11802.22	3984.80	6364.73	22151.75	13658.65	3309.12
2011-12	22769.35	15047.60	4004.27	3345.42	22397.29	7721.75	372.06
2012-13	26285.87	17796.48	4176.63	3734.83	25707.94	8489.39	577.93
2013-14	28783.60	19542.23	4707.42	5652.37	29902.02	9241.37	(-)1118.42
2014-15	29812.20	20735.49	4403.94	1679.94	26819.37	9076.71	2992.83

(ज्ञोतः संबंधित वर्षों के वित लेखे तथा प्र.ल.का., दिल्ली)

राज्य को वर्ष 2010–11 में ₹ 3,309.12 करोड़ का प्राथमिक वित्तीय आधिक्य हुआ। गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय की पूर्ति नहीं कर पाई, जिससे 2013–14 में ₹ 1,118.42 करोड़ प्राथमिक घाटा हुआ। 2014–15 में, राज्य का प्राथमिक आधिक्य पुनः ₹ 2,992.83 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के दौरान 2014–15 में पूँजीगत व्यय ₹ 303.48 करोड़ से घट गया। यद्यपि पूँजीगत व्यय प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष के 15.74 प्रतिशत की तुलना में आशिंक रूप से बढ़कर 16.42 प्रतिशत हो गया। यह 2010–11 के 17.99 की तुलना में महत्वपूर्व था। पूँजीगत व्यय पर पूँजीगत परिव्यय वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु समय पर भौतिक परिसम्पत्तियों में परिणत होना चाहिए।

1.12 निष्कर्ष

राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,603.90 करोड़ (5.73 प्रतिशत) तक बढ़ गई। पिछले वर्ष की अपेक्षा कर राजस्व ₹ 685.21 करोड़ (2.64 प्रतिशत) तक बढ़ गया। जबकि गैर-कर राजस्व ₹ 26.60 (4.04 प्रतिशत) तक कम हो गया तथा भारत सरकार से अनुदाने ₹ 945.28 करोड़ (67.38 प्रतिशत) तक बढ़ गया। पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की अपेक्षा 2014–15 में घटकर ₹ 303.48 करोड़ (6.45 प्रतिशत) हो गई। राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों के रखकर राजस्व का अंशदान 2014–15 में 89.92 प्रतिशत था।

2014–15 के दौरान कुल व्यय पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹ 3,132.94 करोड़ (9.57 प्रतिशत) से घटकर ₹ 29,593.37 करोड़ हो गया। कुल घाटे में पूँजीगत व्यय 303.48 करोड़ गठित हो गया तथा ऋण एवम् अग्रिम ₹ 3,972.43 करोड़ गठित हो गए जबकि राजस्व व्यय ₹ 1,142.97 करोड़ तक बढ़ गया।

सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹17,660.35 करोड़ (31 मार्च 2015 तक) निवेश किए थे। सरकारी निवेश पर औसत प्रतिपूर्ति 2014–15 में 0.07 प्रतिशत की थी जबकि सरकार ने 2014–15 के दौरान अपने उधारों पर 8.59 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज अदा किया।

राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2010–11 में ₹ 30,140.09 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 32,497.91 करोड़ (7.82 प्रतिशत) हो गई। 2014–15 के अंत में राजकोषीय देयताएँ राजस्व प्राप्तियों का 1.10 गुणा तथा राज्य के संसाधनों का 1.19 गुणा थी।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा जैसे प्रमुख राजकोषीय पैरामीटरों के सम्बन्ध में देखे जाने पर यह दर्शाती है कि राजस्व अधिशेष वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 460.93 करोड़ बढ़ा। 2013–14 में ₹ 3,942.71 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो कि 2014–15 में ₹ 218.83 करोड़ का राजकोषीय आधिक्य हो गया तथा 2013–14 का ₹ 1,118.42 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2014–15 में ₹ 2,992.83 करोड़ के प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हो गया।

1.13 सिफारिशें

राज्य सरकार निम्नोक्त पर विचार कर सकती है:

- (i) आर्थिक वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव हेतु पूंजीगत व्यय को बढ़ाना, और
- (ii) इकाईयों/संस्थानों से बकाया ऋणों की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाना।

अध्याय—२
वित्तीय प्रबंधन
तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय – 2

2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियन्त्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे जैसा कि विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत तथा प्रभारित व्यय के लेखे हैं। इन लेखों में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण तथा पुनः विनियोजन स्पष्ट रूप से शामिल हैं तथा यह विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की उन प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के संबंध में विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर किये पूँजीगत तथा राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त के प्रबंधन तथा प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिए वित्त लेखों के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के भीतर है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, अधिनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2014–15 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा अभियुक्तियां शामिल हैं।

2.2 विनियोजन लेखों का सारांश

वर्ष 2014–15 के दौरान 13 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्न तालिका 2.1 के अनुसार थी:

तालिका 2.1

मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोजन	पूरक अनुदान/विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/अधिकता (+)
दत्तमत	राजस्व	24087.47	345.16	24432.63	20653.76	(-) 3778.87
	पूँजीगत	5465.23	0.76	5465.99	4406.28	(-) 1059.71
	ऋण व अग्रिम	2083.13	5.03	2088.16	1679.94	(-) 408.22
कुल दत्तमत		31635.83	350.95	31986.78	26739.98	(-) 5246.80
भारित	राजस्व	3453.41	0.89	3454.30	2937.44	(-) 516.86
	पूँजीगत	0.03	0.13	0.16	0.00	(-) 0.16
	ऋण व अग्रिम	1676.73	0.02	1676.75	1346.72	(-) 330.03
कुल भारित		5130.17	1.04	5131.21	4284.16	(-) 847.05
आकस्मिक निधि का विनियोजन (यदि कोई हो)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल जोड़		36766.00	351.99	37117.99	31024.14	(-) 6093.85

2014–15 के दौरान कुल ₹ 37,117.99 करोड़ के अनुदान व विनियोग के प्रति ₹ 31,024.14 करोड़ का व्यय किया गया, जिससे ₹ 6,093.85 करोड़ की कुल बचत हुई। ₹ 6,093.85 करोड़ की कुल बचत में ₹ 4,295.73 करोड़ की बचत राजस्व सेक्षण के 13 अनुदानों और एक विनियोग (सार्वजनिक ऋण) तथा ₹ 1,798.12 करोड़ पूँजीगत और ऋणों एवं अग्रिमों सेक्षण के अन्तर्गत था।

2.3 वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन

2.3.1 आवंटन प्राथमिकताओं के संदर्भ में विनियोग

वर्ष 2014–15 के विनियोग लेखे यह दर्शाते हैं कि छ: अनुदानों तथा एक विनियोग से संबंधित 24 मामलों में प्रत्येक में बचत ₹ 50 करोड़ से अधिक तथा कुल ₹ 2,743.11 करोड़ थी। (परिशिष्ट 2.1)

बचत के कई कारणों में संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति मामलों का अन्तिमकरण न किया जाना, रिक्त पदों को भरा न जाना, कम बिक्री, प्राप्टी की खरीद के फलस्वरूप शुल्क भुगतान का कम स्थानान्तरण, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन का प्राप्त न किया जाना इत्यादि थे।

2.3.2. निरंतर बचतें

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के विनियोग लेखों की जांच से यह ज्ञात हुआ कि छ: मामलों में ₹ 1.00 करोड़ से भी अधिक या कुल बजट के 20 प्रतिशत से अधिक की निरंतर बचतें हुईं जो बजट बनाते समय अव्यावहारिक आँकड़ों, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन एवं विभागों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही दर्शाता है जिसका ब्यौरा तालिका 2.2 में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.2

2010–15 के दौरान निरंतर बचतों को दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की शीर्ष सं. व नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कारण*
राजस्व – दर्तमत							
अनुदान सं. 3: न्यायिक प्रशासन							
1.	2014 वी. 1 (2) (1)–न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट	कु. प्रा.	25.69	31.67	34.59	39.62	47.77
		%	6.50	8.69	5.00	6.04	8.05
		%	25.30	27.43	14.46	15.24	16.85

*विनियोग लेखों में जैसाकि सरकार द्वारा कारण बताए गए

अनुदान सं. 5. गृह										
1.	2055 डी. 1(1) (1)- फोरेंसिक साईंस लैबोरेटरी	कु. प्रा.	12.11	16.52	16.67	19.25	47.81	बचतें मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दायों की प्राप्ति, बंडार गृह मदों की कम खरीद, खरीद प्रस्तावों का गैर अनिमानकरण, मितव्यप्रयत्न, कम दौरों के कारण हुई थी।		
		व.	2.85	6.49	4.89	3.41	28.57			
		%	23.53	39.28	29.33	17.71	59.76			
अनुदान सं. 7. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य										
1.	2211 के 1 (3) (1)- शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (श.प.क.)	कु. प्रा.	10.00	10.00	4.50	4.90	10.67	बचतें मुख्यतः या तो भा.स. से नियि की गैर-प्राप्ति या फिर परिवार कल्याण निदेशालय के बेतन तथा दि. न.नि. और गै.स.सं. को अनुदान दिए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सहमति / अनुमोदन की गैर-प्राप्ति के कारण हुई थीं।		
		व.	2.04	7.45	1.93	3.50	9.21			
		%	20.40	74.50	42.89	71.43	86.32			
अनुदान सं. 11. शहरी विकास व लोक निर्माण विभाग										
1.	2217,ए8(2)(1)(26)- नगरीय सुधारों के लिए सहायता अनुदान	कु. प्रा.	207.45	300.93	339.87	325.16	157.12	बचतें मुख्यतः या तो योजना के तहत दि.न.नि. के अनुदान की गैर/ कम अदायगी या फिर नगरपालिका द्वारा गैर-निष्पादन तथा अनुदान के विभाजन —के कारण अथवा सक्षम प्राधिकारी से समय पर अनुमोदन प्राप्त न किए जाने के कारण हुई थीं।		
		व.	64.45	300.93	189.87	325.16	157.12			
		%	31.06	100.00	55.86	100.00	100.00			
पूँजीगत—दत्तमत										
अनुदान सं. 8. समाज कल्याण										
1.	5055 डी.डी. 1(3) (1)- परिवहन का वैकल्पिक प्रकार इलैक्ट्रॉनिक ट्राली बसों की शुरूआत	कु. प्रा.	10.00	250.00	10.00	100.00	3.00	बचतें मुख्यतः योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण हुई थीं।		
		व.	10.00	240.75	8.39	97.21	3.00			
		%	100.00	96.30	83.90	97.21	100.00			
अनुदान सं. 11. शहरी विकास व लोक निर्माण विभाग										
1.	4202 बी.बी. 4(1)(4) (2)— दिल्ली सरकार द्वारा समर्थित विश्वविद्यालय भवनों का निर्माण	कु. प्रा.	40.00	35.00	50.00	80.00	105.00	बचतें मुख्यतः समय पर अनुमोदनों की गैर-प्राप्ति के कारण निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।		
		व.	8.16	23.32	19.54	20.18	17.17			
		%	20.40	66.62	39.08	25.23	16.35			

प्रा.—कुल प्रावधान (वास्तविक+पूरक+पुर्णविनियोग), व.—बचत, % — प्रतिशत

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि पाँच अनुदानों के छः उपशीर्षों के अंतर्गत नामतः न्याय प्रशासन, शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण, गृह तथा चिकित्सा व जनस्वास्थ्य के अधीन अनुदानों में लगातार बचतें हुई थीं। वर्ष 2011–12, 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान नगर सेवा सुधारों के लिए अनुदान सहायता के तहत सभी प्रावधान वर्ष 2010–11 तथा 2014–15 के दौरान इलैक्ट्रॉनिक ट्राली बसें—परिवहन की वैकल्पिक प्रणाली का आरम्भ इत्यादि के तहत अनुपयोगी पड़े रहे थे।

उपरोक्त मामले निधि की आवश्यकता से अधिक अनुमानों को इंगित करते हैं तथा यह विभाग द्वारा स्थायी अव्ययित प्रावधानों तथा योजना के गैर-क्रियान्वयन में बचाव के लिए प्रभावी उपचारी कार्यवाही करने में विभागों की असफलता का सूचक है।

2.3.3 सम्पूर्ण प्रावधान की बचतें

8 अनुदानों के 73 उपशीर्षों और एक पुनर्विनियोग में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा उससे अधिक) सम्पूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अप्रयुक्त रह गए अथवा सरकारी खातों में वित्त वर्ष 2014–15 की समाप्ति के पूर्व वापिस जमा करा दिये गये। उप-शीर्षों का विवरण **परिशिष्ट-2.2** में दिया गया है। सम्पूर्ण प्रावधान की बचतें यह संकेत करती हैं कि आकलन परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त जाँच के बिना ही तैयार किए गए थे। जो प्रमुख योजनाएँ सम्पूर्ण प्रावधानों के गैर-उपयोग के कारण आरंभ नहीं हो सकी अथवा प्रभावित हुई, वे थीं— कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण के लिए दि.रा.आौ.अ.वि.नि. को सहायता अनुदान (जेएनएनयूआरएम) (₹ 130 करोड़), पूर्वी दिल्ली नगर निगम को जेएनएनयूआरएम के लिए सहायता अनुदान (₹ 30 करोड़), इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को ऋण (₹ 70 करोड़), बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को इकिवटी पूँजी (₹ 69.82 करोड़), केंद्रीय करों की प्रतिपूर्ति के लिए एमआरटीएस को ऋण (₹ 348 करोड़), दि.ज.बो. को चन्द्रावल जल शोधन संयंत्र हेतु ऋण (₹ 30 करोड़), झज्जर, हरियाणा में जेवीसी पावर प्लांट को इकिवटी अंशदान (₹ 72.60 करोड़), संसाधनों की कमी को पूरा करने हेतु ऋण (₹ 330 करोड़)।

2.3.4 पिछले वर्षों के दौरान प्रावधानों से अधिक किए गए व्यय जिनका नियमितीकरण अपेक्षित है

भारत के संविधान का अनुच्छेद 205 बताता है कि यदि किन्हीं सेवाओं हेतु एक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु प्रदान की गई राशि से अधिकता में व्यय किया गया है, तो अधिकता में किए गए व्यय का राज्य विधानसभा द्वारा नियमितीकरण किया जाना चाहिए। यद्यपि उपबंध में व्यय के नियमितीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है परंतु परंपरा अनुसार लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा विनियोजन लेखों पर चर्चा की समाप्ति के बाद अधिकता में व्यय को नियमित किया जाना होता है। हालांकि, 2006–07 से 2013–14 की अवधि के लिए लगभग ₹ 79.99 करोड़ के अधिक व्यय को नियमित किया जाना अभी भी शेष था। अधिक व्यय के बकाया नियमितीकरण की वर्षवार राशि को नीचे तालिका 2.3 में सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 2.3

पिछले वर्षों से सम्बन्धित प्रावधान से ऊपर किए गए अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना शेष है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	प्रावधान से ऊपर किए गए अधिक व्यय की राशि
2006-07	7 (38 उप-शीर्ष)	9.12
2007-08	5 (30 उप-शीर्ष)	11.55
2008-09	5 (29 उप-शीर्ष)	17.35
2009-10	3 (3 उप-शीर्ष)	5.60
2010-11	2 (5 उप-शीर्ष)	3.98
2012-13	1 (11 उप-शीर्ष)	27.22
2013-14	6 (18 उप-शीर्ष)	5.17
	कुल	79.99

2.3.5 2014–15 के दौरान प्रावधानों से अधिक किए व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना शेष है

2014–15 वर्ष के लिए शीर्षवार विनियोजन लेखों में यह देखा गया कि ₹ 126.33 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति दो अनुदानों में 12 उप-शीर्षों के अंतर्गत, वास्तविक व्यय ₹ 129.84 करोड़ के थे, जिसके फलस्वरूप ₹ 3.51 करोड़ का अधिक व्यय हुआ था, जोकि अभी (अक्टूबर 2015) तक नियमित किया जाना चाहिए था (परिशिष्ट 2.3)। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत ₹ 83.50 करोड़ के अधिक व्यय (2006–07 से 2014–15 तक) को नियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

2.3.6 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

अनुपूरक अनुदान को प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध रहने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए और निधियों की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। पूरक माँग का चुनाव असामान्य और अत्यावश्यक मामलों में ही करना चाहिए।

वर्ष 2014–15 के लिए विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उच्चतर/अतिरिक्त व्यय की आशंका से दो उप शीर्षों के अन्तर्गत लगभग ₹ 68.44 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया (परिशिष्ट 2.4)। यद्यपि अन्तिम व्यय मूल अनुदान/विनियोग से भी कम था। अनुपूरक अनुदान के उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण निविदाओं का गैर अन्तिकरण, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति, प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति थे।

इसलिए, उपरोक्त मामलों से बजटिंग की त्रुटिपूर्ण योजना का पता चलता है।

2.3.7 निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई से जहाँ बचत संभावित हो, से एक अन्य इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो, अनुदान के भीतर ही निधियों का स्थानान्तरण है। वर्ष 2014–15 के लिए विनियोग लेखों तथा पुनर्विनियोग आदेशों की संवीक्षा ने दर्शाया कि नौ अनुदानों में 93 उपशीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोजन अनावश्यक पाए गए क्योंकि विभाग अपने वर्तमान अनुदान का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर सके, ₹ 796.10 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति ₹ 680.65 करोड़ का संचयी अनुपयोग हुआ जैसा कि परिशिष्ट 2.5 में बताया गया है। विभाग ने निविदाओं के गैर अन्तिकरण सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति, प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति, क्रय प्रस्तावों को कार्यान्वित न किया जाना, रिक्त पद, स्टाफ का चुनाव डयूटी पर रहने के कारण बिलों का न बनाया जाना, कम दावों की प्राप्ति, लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता के कारण बताए। निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं:

- (i) अनुदान संख्या 3 के अंतर्गत— न्याय का प्रशासन—उपशीर्ष सेशन कोर्ट के तहत अधिक दावों/बिलों की अदायगी तथा प्राप्ति के बकायों के भुगतान के पूर्वानुमानों में ₹ 17.18 करोड़ पुनर्विनियोजित किए गए। जबकि, वहाँ निविदाओं के गैर-अन्तिमकरण, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति तथा प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति के कारण ₹ 86.67 करोड़ की बचत हुई थी।
- (ii) अनुदान संख्या 4 के अंतर्गत— वित्त— उप शीर्ष नवीकरण/भवनों का रखरखाव के तहत नवीकरण/भवन के रखरखाव के कारण ₹ 12.90 करोड़ पुनर्विनियोजित किए गए थे, जबकि, वहाँ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति के कारण ₹ 13.33 करोड़ की बचत हुई थी।
- (iii) अनुदान संख्या 6 के अंतर्गत— शिक्षा—उप—शीर्ष —अम्बेडकर विश्वविद्यालय के गठन के अंतर्गत निर्माण कार्य की अच्छी प्रगति के कारण ₹ 4.10 करोड़ को पुनर्विनियोजित किया गया था, जबकि योजना/कार्य को प्रारंभ न किए जाने के कारण ₹ 8.67 करोड़ की बचत हुई थी।
- (iv) अनुदान संख्या 7 के अंतर्गत— चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य — उपशीर्ष दिल्ली स्वास्थ्य मिशन (सी.एस.एस.) के अंतर्गत भारत सरकार से राशियों की प्राप्तियों के पूर्वानुमानों में ₹ 50.34 करोड़ को पुनर्विनियोजित किया गया था, जबकि प्रस्तावों के गैर-अन्तिमकरण के कारण ₹ 60.26 करोड़ की बचत हुई थी।
- (v) अनुदान संख्या 8 के अंतर्गत— समाज कल्याण — उपशीर्ष अशक्त व्यक्तियों का बेरोजगारी भत्ता के अधीन बकायों के भुगतान के पूर्वानुमानों में ₹ 6.99 करोड़ को पुनर्विनियोजित किया गया था, जबकि लाभान्वित व्यक्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन कराए जाने के लिए रोके गए भुगतान के कारण ₹ 13.32 करोड़ की बचत हुई।

- (vi) अनुदान संख्या 9 के अंतर्गत— उद्योग – उपशीर्ष दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के लिए हैन्डलूम की उन्नति (सी.एस.एस.) के अंतर्गत भारत सरकार से राशियों की प्राप्ति के कारण ₹ 2.69 करोड़ को पुनर्विनियोजित किया गया था, जबकि कार्य को पूरा न किए जाने की प्रक्रिया के कारण ₹ 3.30 करोड़ की बचत हुई थी।
- (vii) अनुदान संख्या 11 के अंतर्गत— शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग – उपशीर्ष एल.ई.डी. के लिए डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं को सहायता के अधीन एल.ई.डी. बल्बों के लिए डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं को सहायता देने के कारण ₹ 27.87 करोड़ को पुनर्विनियोजन किया गया था। जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने सहायता प्राप्त किए बिना योजना को कार्यान्वित किए जाने और एल.ई.डी. बल्बों की दर में कमी, के कारण ₹ 27.88 करोड़ की बचत हुई थी।

उपरोक्त निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन त्रुटिपूर्ण बजटीय प्रक्रिया को इंगित करता है।

2.3.8 पर्याप्त अभ्यर्पण

36 उप-शीर्ष (परिशिष्ट 2.6) के सम्बन्ध में ₹ 997.93 करोड़ के (मूल प्रावधान के एक करोड़ तथा 60 प्रतिशत से अधिक) पर्याप्त अभ्यर्पण किए गए, जिनमें से 14 उप-शीर्षों में धीमी प्रगति, रिक्त पदों का न भरा जाना, योजनाओं की कम अनुदान/ऋणों की अदायगी तथा गैर कार्यान्वयन के कारण ₹ 406.84 करोड़ की 100 प्रतिशत अनुदान की राशि का अभ्यर्पण किया गया।

अनुदान संख्या 6 : शिक्षा, अनुदान संख्या 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 11 शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग उप-शीर्षों के तहत 6202 बी.बी. 2 (1) (1) (1)–इन्द्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान को ऋण, दिल्ली, 2210 ए 1 (4) (1) (4) – कार्यालय व्ययों तथा 2215 ए 6 (2) (1) (5) (1) – पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान क्रमशः ₹ 45.00 करोड़, ₹ 120.84 करोड़ तथा ₹ 296.67 करोड़ की राशि को पर्याप्त अभ्यर्पित किया गया। यह अभ्यर्पण कार्य निर्माण की धीमी प्रगति, अनुदान/ऋण की कम अदायगी तथा योजना के गैर-कार्यान्वयन इत्यादि के कारण किए गए।

2.3.9 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमों (सा.वि.नि.) का नियम 56(2) यह अनुबंध करता है कि प्रावधानों के साथ-साथ बचतों जिनकों लाभपूर्ण ढंग से उपयोग में न लाया जा सके, उनका पूर्वानुमान होते ही वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य बाद के स्तर पर अभ्यर्पण की संभावना को न्यूनतम करना होता है। वर्ष 2014–15 की समाप्ति पर पाँच अनुदानों में बचत हुई थी परन्तु सम्बन्धित विभागों (परिशिष्ट 2.7) द्वारा इसके किसी भाग का अभ्यर्पण नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, 10 अनुदानों एवं एक विनियोजन के अंतर्गत ₹ 5,598.47 करोड़ की बचत में से जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ एक करोड़ या अधिक की बचत थी, ₹ 3,320.93 करोड़ (बचत की राशि का 59.32 प्रतिशत) की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई थी जिसके बौरे परिशिष्ट 2.8 में दिए गए थे।

2.3.10 अव्यवाहरिक बजट व्यवस्था

सा.वि.नि. का नियम 48(2) यह बताता है कि मंत्रालयों/विभागों को अन्य बातों के साथ पिछले वर्षों के दौरान संवितरणों की प्रवृत्तियों और अन्य प्रमुख घटकों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा समय—समय पर जारी किए गए संगतीय कारण जैसे मितव्ययिता हेतु निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपना अनुमान तैयार करना चाहिए। वर्ष 2014–15 के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि केन्द्रीय समर्थित योजनाएं तथा अनुसूचित जाति उप—योजना (के.स.यो. तथा अ.जा.उ.यो.) योजनाओं के विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया परन्तु सात अनुदानों में से 69 उपशीर्षों में ₹ 265.82 करोड़ (परिशिष्ट 2.9) के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गए जिसने विधान सभा द्वारा पारित किए गए बजट प्रावधानों के मूल उद्देश्य को निष्फल सिद्ध कर दिया, जो यह संकेत करता है कि बजट अनुमान परियोजनाओं व योजनाओं की पर्याप्त बजट पूर्व जाँच करने के पश्चात नहीं बनाये गए थे। निधियों के गैर—उपयोग हेतु प्रमुख कारण भारत सरकार से निधियों का प्राप्त न होना कम अनुदानों की अदायगी आदि और योजनाओं का कार्यान्वयन न होना बताया गया।

2.3.11 व्यय का द्रुतप्रवाह

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 56 विशेषतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में, व्यय के द्रुतप्रवाह की मनाही करता है और यह निर्धारित करता है कि इसे वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा जिसे दूर किया जाना चाहिए था। इसके विपरीत विभाग द्वारा मार्च 2015 तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 की अन्तिम तिमाही में 20 उपशीर्षों के अंतर्गत किया गया व्यय कुल व्यय का 54 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच था, जो कि परिशिष्ट 2.10 में दिखाया गया है।

सरकार ने कहा (फरवरी 2016) कि वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही तथा मार्च माह के दौरान व्ययों के द्रुतप्रवाह को रोकने के लिए विभागों को निदेश जारी कर दिए गए हैं।

2.4 व्यय की कमी के कारण समायोजित की गई वसूलियाँ

विधायिका को प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों के लिए माँगे जिनमें क्रेडिट और वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं, सकल व्यय के लिए होती हैं, जिसमें व्यय में कमी के रूप में लेखों को समायोजित किया जाता है। प्रत्याशित वसूलियाँ और क्रेडिटों को बजट आकलनों में पृथक रूप से 'शून्य' दिखाया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान 'शून्य' पूर्वानुमानित वसूलियों के प्रति ₹ 84.05 करोड़ की वास्तविक वसूलियाँ थीं।

2.5 अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

(क) वर्ष 2014–15 के लिए पुनर्विनियोग आदेशों की संवीक्षा ने दर्शाया कि सभी पुनर्विनियोग वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्यदिवस अर्थात् 31 मार्च 2015 को जारी किए गए थे। जारी किए गए पुनर्विनियोग आदेश स्पष्ट रूप से बजट प्रावधान से ऊपर अधिक व्यय को पूरा कर रहे थे।

मामले को लेखा नियंत्रक के पास भेजा गया, उन्होंने मामला वित्त विभाग को भेज दिया (अक्तूबर 2015), उनका जवाब जनवरी 2016 तक प्रतीक्षित था।

(ख) वित्तीय अधिकार नियम 1978 के प्रत्यायोजन के नियम 8 के अनुसार, वस्तु शीर्षों जैसे कि 51—मोटर वाहन, 52—मशीनरी तथा उपकरण तथा 53—प्रमुख कार्य—वस्तु श्रेणी 6 के (पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय) अन्दर आते हैं। जबकि, वर्ष 2014–15 के लिए अनुदानों के लिए मांगों के ब्यौरों के पुनरीक्षण ने दर्शाया कि 69 मामलों (**परिशिष्ट 2.11**) में पूंजीगत व्ययों के स्थान पर राजस्व व्यय के लिए ₹ 172.51 करोड़ की राशि का प्रावधान गलत दिया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014–15 के लिए रा.रा.क्षे. दि.स., लेखा नियंत्रक द्वारा उक्त वास्तवित व्यय के डाटा ने दर्शाया कि दिए गए 69 मामलों में कुल ₹ 86.64 करोड़ का व्यय किया गया था।

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 86.64 करोड़ की राशि के राजस्व व्यय को अधिक बताया गया तथा इसी समतुल्य राशि से राजस्व अधिकयों को कम बताया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर लेखा नियंत्रक ने पुष्टि (अक्तूबर 2015) की, कि उपरोक्त आंकड़े लेखों के अनुसार सही हैं।

2.6 अनुदान सं. 2 के पुनरीक्षण के निष्कर्ष—सामान्य प्रशासन

2012–15 की अवधि के लिए अनुदान सं. 2—सामान्य प्रशासन, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संबंध में एक बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा आयोजित की गई (नवंबर 2015) तथा समीक्षा के दौरान पाए गए मुख्य बिन्दुओं का विवरण निम्नवत है:

- पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदानों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान, किए गए व्यय तथा बचतों की पूरी स्थिति को **तालिका 2.4** में दिया गया है:

तालिका 2.4

बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		किया गया व्यय		बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2012-13	114.88	शून्य	96.46	शून्य	18.42	शून्य
2013-14	142.01	शून्य	119.52	शून्य	22.50	शून्य
2014-15	150.51	शून्य	104.66	शून्य	45.85	शून्य
कुल	407.40	शून्य	320.64	शून्य	86.77	शून्य

- (ii) सामान्य वित्तीय नियमों (सा.वि.नि.) के नियम 56(2) मे अनुबन्धित है कि बचतों के साथ-साथ प्रावधान जोकि लाभ की दृष्टि से उपयोग में नहीं लाए जा रहे थे, जैसे ही उनका पूर्वानुमान हो वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें सरकार को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। इस उद्देश्य से कि अन्तिम स्तर पर अभ्यपर्णों को न किए जाने की गुंजाईश को कम किया जा सके। 2012–13 से 2014–15 तक ₹ 86.77 करोड़ की बचतों में से, ₹ 69.36 करोड़ की राशि (बचत की राशि का 79.94 प्रतिशत) मार्च 2015 तक अभ्यर्पित नहीं की गई थी, जैसा कि ब्यौरे को **परिशिष्ट 2.12** में दिया गया है।
- (iii) जब अनुपूरक अनुदान को प्राप्त किया जाता है, विभाग द्वारा वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए तथा जब उन्हें अतिरिक्त बजटीय राशि की आवश्यकता के पूर्वानुमान के समय उनको सावधानी से प्रयोग में लाया जाना चाहिए। अनुपूरक माँगों को केवल विशेष तथा आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए। वर्ष 2012–13 से 2014–15 के लिए विनियोग लेखों की लेखा परीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि अतिरिक्त व्यय के पूर्वाभास में सात उप-शीर्षों में ₹ 14.72 करोड़ की राशि की अनुपूरक अनुदान प्राप्त की जा रही थी लेकिन कम विदेशी दौरों के कारण चार मामलों में वास्तविक अनुदान अन्तिम व्यय से कम था। (**परिशिष्ट 2.13**)
- (iv) यहाँ अनुदान के तहत 12 मामलों/उप-शीर्षों में 1 करोड़ से अधिक की लगातार बचतें थी जोकि अव्यवहारिक बजटिंग, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन तथा प्रणाली के कार्यान्वयन में विभाग की ओर से शिथिलता को दर्शा रही थीं।
- (v) वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक के लिए अनुदान के विभाग-वार विनियोग लेखों की संवीक्षा दर्शा रही थी कि छ: मामलों में राजस्व दत्तमत्त विभाग में 14 से 31 प्रतिशत के बीच बचतें चल रही थीं तथा कुल अनुदान के 21 से 25 प्रतिशत तक के बीच भारित बचतें अव्यवहारिक बजटिंग को दर्शा रही थीं।
- (vi) छ: मामलों में पुर्नविनियोग अनावश्यक रूप से दर्शा रहा था क्योंकि विभाग अपने वास्तविक अनुदान को पूर्ण रूप से उपयोग में लाने के योग्य नहीं था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.44 करोड़ के पुर्ण – विनियोग के प्रति 2012–15 के दौरान इन मामलों में ₹ 10.31 करोड़ की सचित गैर-उपयोगिता हुई थी। फण्ड का अनावश्यक रूप से पुर्न-विनियोग त्रुटिपूर्ण बजटिंग को इंगित कर रहा था।
- (vii) मुख्य शीर्ष 42 के एकमुश्त प्रावधान के लिए वित्तीय शक्ति नियमों के प्रत्यायोजन के नियम 8 में अनुबन्धित है कि जहाँ प्रावधान 10 लाख से अधिक न हो वहाँ योजनाओं/उप-योजनाओं/संगठनों के संबंध में एकमुश्त प्रावधानों को व्यय में

सम्मिलित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, व्यय के अन्य कारणों के ब्योरे को भी दिया जाएगा। जबकि, वर्ष 2012–15 के लिए विनियोग लेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 10 लाख से अधिक के नौ मामलों में व्यय बिना ही एकमुश्त प्रावधान प्राप्त किए जा रहे थे जो कि वर्तमान नियम पर आश्रित थे।

सरकार ने जब लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार (फरवरी 2016) किया तो आश्वासन दिया कि वर्ष 2016–17 के दौरान व्ययों के संबंधित विषयों द्वारा व्यय को वर्गीकृत करने की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2.7 निष्कर्ष

2014–15 के दौरान ₹ 37,117.99 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 31,024.14 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6,093.85 करोड़ (16.42 प्रतिशत) की बचत हुई। 2006–07 से 2014–15 की अवधि से संबंधित ₹ 83.50 करोड़ का अधिक व्यय संविधान की धारा 205 के अंतर्गत नियमितीकरण किया जाना था।


दो उपशीर्षों में ₹ 68.44 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक था और 93 मामलों में निधियों का पुनर्विनियोग जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत असंगत थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 680.65 करोड़ के प्रावधान का उपयोग न हो सका/प्रावधान अधिक हो गया। पाँच अनुदानों के 14 उप-शीर्षों में, ₹ 406.84 करोड़ की राशि की 100 प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित कर दी गई।

यहाँ अनुदान सं.-2 सामान्य प्रशासन के अंतर्गत वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान 12 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ 1 करोड़ से अधिक की बचतें निरंतर चल रही थीं।

2.8 सिफारिशें

सरकार इन उपायों पर विचार कर सकती है:

- अधिक व्यय के नियमितीकरण हेतु लोक लेखा समिति सचिवालय के साथ मामले पर विचार किया जाना।
- बड़ी बचतों और अनुपूरक प्रावधानों से बचने हेतु व्यावहारिक बजट प्रावधान तैयार करना।
- वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता से बचने हेतु वित्त विभाग द्वारा उपयुक्त प्रणाली विकसित करना।



अध्याय—३

वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय – 3

3 वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ सक्षम आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा दक्ष तथा प्रभावी प्रशासन के लिये महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता तथा सामयिकता अच्छे प्रशासन का द्योतक है। निम्नलिखित अभ्युक्तियों में, दिल्ली सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना की चर्चा की गई है:

3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

सा.वि.नि. का नियम 212 अनुबंधित करता है कि विशेष कारणों के लिए वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के अन्दर अनुदानग्राहियों से विभागीय अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.) प्राप्त किए जाने चाहिए थे। जबकि, 31 मार्च 2014 तक जारी की गई अनुदानों के संबंध में, ₹ 17,720.49 करोड़ की समुचित राशि के 3761 उ.प्र. 31 मार्च 2015 तक अनुदान ग्राहियों द्वारा नहीं भेजे गए थे। उ.प्र. के प्रस्तुतिकरण में समय-वार लम्बन को तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका 3.1
उपयोगिता प्रमाणपत्रों के समयवार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विलंब की अवधि (वर्षों की संख्या)	कुल दिया गया अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	0-2	863	9684.98	422	3151.59
2	2-4	307	3621.59	299	3524.34
3	4-6	334	3244.23	333	3211.31
4	6-8	1145	2118.35	1145	2118.35
5	8-10	386	1488.59	386	1488.59
6	10 और उससे अधिक	1176	4226.31	1176	4226.31
कुल		4211	24384.05	3761	17720.49

लोत: भुगतान तथा लेखा कार्यालय द्वारा भेजी गई सूचनाओं से संकलित

3761 उ.प्र. में से, दो से दस वर्षों के बीच की अवधि के लिए ₹ 13,494.18 करोड़ के 2585 (68.73 प्रतिशत) उ.प्र. बकाया थे, जबकि ₹ 4,226.31 करोड़ के 1176 उ.प्र. (31.27 प्रतिशत) 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

मुख्य चूककर्ता शहरी विकास विभाग था जिसका बकाए में ₹ 15,719.64 करोड़ (88.71 प्रतिशत) की भागीदारी थी। दि.न.नि., न.दि.न.पा., दिल्ली विद्युत बोर्ड¹, एस.डी.आई.आई.डी.सी. ने शहरी विकास विभाग से प्राप्त अनुदानों के उ.प्र. प्रस्तुत नहीं किये। आगे कला, संस्कृति तथा भाषा विभाग ने भी प्राप्त अनुदानों का उ.प्र. प्रस्तुत नहीं किया।

3.2 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

नि.म.ले.प. को नौ निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा 20 के अंतर्गत सुपुर्द की गई। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे देने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए जाने की स्थिति परिशिष्ट 3.1 में दर्शाई गई है। नौ² निकायों/प्राधिकरणों में से, केवल छः³ निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे वर्ष 2013–14 तक प्राप्त हुए।

शेष तीन निकायों/प्राधिकरणों के 2013–14 तक बकाया वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय में मार्च 2015 तक प्राप्त नहीं हुए। इन बकाया लेखों के विवरण तालिका 3.2 में दिए गए हैं।

तालिका 3.2
31 मार्च 2015 को बकाया लेखों के ब्यौरे

क्र. सं.	इकाई/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	बकाया लेखों की संख्या	प्राप्त सहायता (₹ करोड़ में)
1	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	2009-10 से 2013-14	5	1350.43
2	दिल्ली अजा./अजजा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक तथा विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड.	2004-05 से 2013-14	10	--
3	नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान (ने.सु.त.स.)	2013-14	1	--

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि तीन निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2013–14 तक के 16 वार्षिक लेखे बकाया थे। दिल्ली अजा./अजजा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक तथा विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के मामले में 2004–05 से 10 वार्षिक लेखे बकाया थे। दिल्ली जल बोर्ड ने 2009–10 से पाँच लेखे प्रस्तुत नहीं किए तथा नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान ने वर्ष 2013–14 के अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए।

¹ 1.7.2002 से, दि.वि.सी. छ: अनुंषगी कम्पनियों में विभाजित हो गया: डीपीसीएल (धारक कंपनी), डीटीएल, आईपीजीसीएल, बीआरपीएल-डिस्काम, बीवाईपीएल-डिस्काम तथा एनडीपीएल-डिस्काम।

² दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (ii) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (iii) दिल्ली जल बोर्ड (iv) दिल्ली कल्याण समिति (v) दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (vi) गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (vii) दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक तथा विकलांग वित्तीय तथा विकास निगम लि. (viii) नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान (ix) अम्बेडकर विश्वविद्यालय

³ (i) दिल्ली कल्याण समिति (ii) गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, (iii) दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (iv) दिल्ली विधिक सेवा आयोग (v) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (vi) अम्बेडकर विश्वविद्यालय

3.3 दुर्विनियोजन, हानियाँ तथा गबन इत्यादि

31 मार्च 2015 तक लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 23.30 लाख की चोरी, सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के 24 मामलों का पता चला। लम्बित मामलों की आवधिक रूपरेखा तथा प्रत्येक वर्ग में चोरी और दुर्विनियोजन/हानि में लम्बित मामलों की संख्या जिन्हें इन परिशिष्टों से लिया गया है नीचे तालिका 3.3 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.3
दुर्विनियोजन, हानियों, चोरी, गबन इत्यादि की रूपरेखा

लम्बित मामलों की आवधिक रूपरेखा			लम्बित मामलों की प्रकृति		
आवधि वर्षों में	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)
0-5	04	12.92	दुर्विनियोजन/ सामग्री की हानि	चोरी	12
5-10	12	09.89			0.71
10-15	06	0.06			22.59
15-20	02	0.03			
20-25	ला.न.	0.40			
कुल	24	23.30	कुल बकाया मामले	24	23.30

इन 24 मामलों में से, आठ मामले अस्पतालों से, सात मामले शिक्षा विभाग से एवं चार मामले दिल्ली जल बोर्ड से हैं।

3.4 व्यक्तिगत जमा खाते

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्ष 2014–15 के दौरान ग्यारह व्यक्तिगत जमा खाते महा लेखा नियंत्रक (म.ले.नि.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन उद्देश्यों के साथ खोले एवं प्रचालित किए गए कि जिन भूस्वामियों की भूमि अधिग्रहित की गई है उनको क्षतिपूर्ति तथा भुगतान की राशि, न्यायालयों के आदेशानुसार वादियों के सिविल एवं अपराधिक जमाओं तथा किराए आदि की जमा/निकासी, पेपर बुक मामलों में संवीक्षा प्रभार की जमा, सुरक्षा प्रभार तथा चुनाव याचिकाओं के शुल्क की प्राप्ति की जा सके। 31 मार्च 2015 को इन 11 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 158.10 करोड़ की राशि बकाया थी।

3.5 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

प्राप्ति तथा भुगतान नियम का नियम 118 यह दर्शाता है कि प्रत्येक सार आकस्मिक बिल के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए सार आकस्मिक (सा.आ.) बिलों के संदर्भ में विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) बिलों को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था। किसी भी स्थिति में कोई सार आकस्मिक बिल इस प्रमाणपत्र के बगैर भुनाया नहीं जा सकता।

दस्तावेजों की जाँच से ज्ञात हुआ कि ₹ 1,305.68 करोड़ के सा.आ. बिलों के प्रति ₹ 728.60 करोड़ (55.80 प्रतिशत) के वि.आ. बिल प्राप्त किए गए जिस कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 577.08 करोड़ के सा.आ. बिल बकाया थे। वर्षवार विवरण नीचे तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4

सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की प्रस्तुति में विलंब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सा.आ. बिलों की राशि	वि.आ. बिलों की राशि	सा.आ. बिलों की प्रतिशतता में वि.आ. बिल	बकाया सा.आ. बिल
तक 2009-10	129.96	34.81	26.79	95.15
2010-11	43.28	2.83	6.54	40.45
2011-12	56.60	32.80	57.95	23.80
2012-13	214.48	115.27	53.74	99.21
2013-14	411.92	328.29	79.70	83.63
2014-15	449.44	214.60	47.75	234.84
कुल	1305.68	728.60	55.80	577.08

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सा.आ. बिल पाँच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए बकाया थे। लेखा परीक्षा को सा.आ. बिलों के गैर-समायोजन के कारणों को सूचित नहीं किया गया था (दिसंबर 2015)। विभिन्न विभागों द्वारा वि.आ. बिलों के गैर-प्रस्तुतिकरण के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि लिया गया फण्ड उसी उद्देश्य पूर्ति के उपयोग में लाया गया था जिसके लिये यह निकाला गया था। इस प्रकार, किसी भी आकस्मिक बिलों के ब्यौरे के अभाव में निधियों के अस्थायी दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सका था।

3.6 उचंत शेष

रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार का कोई पृथक लोक खाता नहीं है तथा इस प्रकार के लेन-देन “संघीय सरकार के खाते” के अन्तर्गत किए जाते हैं। ऐसे सभी लेन-देनों का अन्त में निवारण या तो नकद रूप में वसूली के भुगतान अथवा खाता समायोजन द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में इन्हें उचंत शीर्षों में दर्ज किया जाता है जिनका अल्प अन्तरालों में पुनरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित रूप से आवश्यकता से अधिक समय तक कोई मद असमायोजित न रहे तथा प्रत्येक मामले में लागू नियमों के अनुसार इसका समाशोधन सामान्य प्रकार से हो। लेखा परीक्षा में देखा गया कि पब्लिक सैक्टर बैंकों (पी.एस.बी.) के उचंत शेष की बढ़ोतरी के कारण 2013-14 वर्ष के दौरान शीर्ष के तहत बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई जिसका 2014-15 में निपटान कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए लोक लेखा (केन्द्रीय) में ऐसे लेन देनों की जांच से पता चला कि 31 मार्च 2015 को ₹ 254.76 करोड़ की राशि बकाया थी जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5

उचंत शीर्ष के अन्तर्गत राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	निवल जोड़(+)/निपटान(-)	अन्त शेष
2010-11	101.02	(+) 57.79	158.81 (डेबिट)
2011-12	158.81	(+) 56.81	215.62 (डेबिट)
2012-13	215.62	(+) 58.16	273.78 (डेबिट)
2013-14	273.78	(+) 877.87	1151.65 (डेबिट)
2014-15	1151.65	(-) 896.89	254.76 (डेबिट)

31 मार्च 2015 को विभिन्न उचंत शीर्ष के अन्तर्गत शेषों का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

लेखों के शीर्ष के नाम	राशि
वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत खाता (101)	66.50 (डेबिट)
नकद परिशोधन उचंत लेखा (न.प.उ.ल.) (107)	181.75 (डेबिट)
भविष्य निधि उचंत लेखा (113)	0.09 (डेबिट)
सामग्री क्रय उचंत लेखा (सा.क्र.उ.ल.) (129)	14.35 (क्रेडिट)
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत लेखा (108)	20.87 (डेबिट)
उचंत लेखा (सिविल) (102)	0.10 (क्रेडिट)
कुल	254.76 (डेबिट)

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि “नकद परिशोधन उचंत लेखों” (न.प.उ.ल.) शीर्ष के अन्तर्गत बकाया राशि का मुख्य भाग पी.ए.ओ. (एनएस), सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (स.प.रा.म.), भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस से संबंधित है तथा न.प.उ.ल. के अन्तर्गत बकाया शेषों के परिशोधन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लो.नि.वि. के मुख्य अभियन्ता के साथ मामला उठाया गया। यह कहा गया कि लो.नि.वि. द्वारा दिल्ली पुलिस के कार्यों का निष्पादन मुख्य शीर्ष – 8658 न.प.उ.ल. के प्रचालन द्वारा किए जाने के तरीके को जारी नहीं रखा गया तथा अब कार्य को निक्षेप कार्य के रूप में निष्पादित कराया गया। सभी पी.ए.ओ. को बकाया बाह्य दावों की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई के अनुदेश दिए गए थे। इससे आगे पुनः उत्तर दिया गया कि जनवरी 2009 से कोर बैंकिंग प्रणाली के आरंभ होने से सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत में अधिक मात्रा में शेष संचित हुए थे। शेषों के परिसमापन का मामला प्रबलता के साथ विभाग ने सम्बन्धित पी.ए.ओ. के समक्ष उठाया है।

3.7 निष्कर्ष

विभिन्न अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने में काफी देर हुई जिसके कारण अनुदान का समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। 3761 बकाया उ.प्र. में से ₹ 4,226.31 करोड़ के 1176 (31.27 प्रतिशत) उ.प्र. 10 वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे। 9 निकायों/प्राधिकरणों में से तीन निकायों/प्राधिकरणों के 2013–14 तक बकाया 16 वार्षिक लेखे मार्च 2015 तक प्राप्त नहीं हुए थे। राज्य सरकार के विभागों ने दुरुपयोग, हानि, चोरी, गबन इत्यादि के 24 मामलों की सूचना दी थी जिसमें मार्च 2015 तक ₹ 23.30 लाख की सार्वजनिक राशि सम्मिलित थी। इन मामलों में अन्तिम कार्रवाई

शेष थी। 31 मार्च 2015 तक उचंत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 254.76 करोड़ के बड़े अधिशेष थे जिनका तुरंत निपटान तथा उपयुक्त लेखा शीर्षों में वर्गीकरण किया जाना आवश्यक था।

3.8 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है :

- i सरकारी विभागों के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि उ.प्र. के समयानुसार प्रस्तुति पर निगरानी रखी जा सके तथा पूर्व अनुदानों के उ.प्र. की प्राप्ति के बाद ही आगे अनुदान जारी किए जाए;
- ii स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखों की प्रस्तुति को तीव्र करने के लिए किसी प्रणाली को अपनाने के विषय में;
- iii दुर्विनियोजन, घोरी एवं हानि के मामलों में कार्यवाही हेतु समयबद्ध रूपरेखा तैयार की जाए तथा
- iv उचंत शीर्ष का तुरंत निपटान तथा उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत उनका वर्गीकरण सुनिश्चित करने हेतु आवधिक समीक्षा किया जाना।

प्रतिवेदन में सम्मिलित उपरोक्त बिन्दुओं को सरकार को जारी किया गया (जनवरी 2016), उत्तर प्रतिक्षित हैं।

दौली चक्रबर्ती

नई दिल्ली

(डौली चक्रबर्ती)

दिनांक: 28 मार्च 2016

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

शशीकान्त शर्मा

नई दिल्ली

(शशी कान्त शर्मा)

दिनांक: 29 मार्च 2016

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट—1.1

राज्य की रूपरेखा (दिल्ली)			
ए. सामान्य आँकड़े			
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		1483 वर्ग किमी
2	जनसंख्या		
	ए.	2001 की जनगणना के अनुसार	1.39 करोड़
	बी.	2011 की जनगणना के अनुसार	1.68 करोड़
3.	ए.	जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)	9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
	बी.	जनसंख्या घनत्व (2011) के अनुसार (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्गकिमी.)	11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 29.5 प्रतिशत)		15.6** प्रतिशत
5	ए.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	81.67 प्रतिशत
	बी.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0 प्रतिशत)	86.21 प्रतिशत
6.	बाल मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर). (अखिल भारतीय औसत*** = 40 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर)		24.0***
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 67.5 वर्ष)		उ.न.
8.	गिनी गुणांक****		
	ए.	ग्रामीण. (अखिल भारतीय = 0.29)	0.25
	बी.	शहरी. (अखिल भारतीय = 0.38)	0.35
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2014–15 वर्तमान मूल्य पर		₹ 451153.65 करोड़**
10.	प्रति व्यक्तिस.रा.घ.उ.पि.वा.वृ.द्ध. (2005–06 से 2014–15)	दिल्ली	13.11 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	13.86 प्रतिशत
11.	स.रा.घ.उ. पि.वा.वृ.द्ध***** (2005–06 से 2014–15)	दिल्ली	16.36 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	15.44 प्रतिशत
क्र.सं.	बी	वित्तीय आँकड़े	
क्र.सं.	विवरण	आँकड़े (प्रतिशत में)	
1	पि.वा.वृ.द्ध.	2005–06 से 2013–14	2013–14 से 2014–15
		सामान्य श्रेणी राज्य +	सामान्य श्रेणी राज्य +
	ए.	राजस्व प्राप्ति	11.80
	बी.	स्वयं का कर राजस्व	12.88
		15.76	16.10
		15.32	5.73
		41	10.51
			2.64

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

	सी.	गैर कर राजस्व	13.53	-8.44	10.07	-4.04
	डी.	कुल व्यय	15.23	11.72	19.32	-9.57
	ई.	पूँजीगत व्यय	14.61	12.69	21.87	-6.45
	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	17.10	16.08	14.55	7.14
	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	16.20	16.72	28.73	19.32

सामान्य आंकड़ों के खोल:

*सेससइंफो इंडिया 2011 अंतिम जनसंख्या योग

**निधनता, नियोजन आयोग के मापन हेतु प्रविधि की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) की रिपोर्ट (जून 2014)

***नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन सितंबर 2014.

****2009–10 के लिए योजना आयोग के आँकड़े,

***** मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर

+ 18 सामान्य श्रेणी के राज्यों जैसे (1) आंध्र प्रदेश तेलंगाना सहित, (2) बिहार, (3) छत्तीसगढ़ (4) गोआ, (5) गुजरात, (6) हरियाणा, (7)

झारखण्ड (8) कर्नाटक, (9) केरल, (10) मध्य प्रदेश, (11) महाराष्ट्र, (12) ओडिशा, (13) पंजाब, (14) राजस्थान, (15) तमिल नाडु, (16) उत्तर प्रदेश, (17) प. बंगाल, (18) पुडुचेरी को छोड़करदिल्ली।

परिशिष्ट 1.2

(पैराग्राफ 1.1 को देखें)

पार्ट ए: सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावटः

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं—

(i) समेकित निधि तथा (ii) आकर्सिक निधि। दिल्ली में लोक लेखे नहीं हैं। लेन-देनों से संबंधित ऋण (लघु बचत योजनाओं के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषणों तथा उच्चतों को संघ सरकार के लोक लेखा में मिला दिए जाते हैं।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विलों के सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनः भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं। राज्य की समेकित निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत की गई।

भाग II: आकर्सिक निधि: राज्य की आकर्सिक निधि की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन अग्रदाय के रूप में रखी जाती है जिससे वे अग्रिम देने के योग्य हो सके ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। तदन्तर ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिसके बाद आकर्सिक निधि से प्राप्त अग्रिम से निधि को पूरा किया जाता है।

पार्ट बी: वित्तीय लेखों की स्थिति	
विवरणी	स्थिति
विवरणी सं.1	राज्य सरकार के लेन देनों का सारांश— रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि
विवरणी सं.2	वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण
विवरणी सं.3	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें आंतरिक ऋणों से उधार, भारत सरकार के उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित हैं।
विवरणी सं.4	वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किए गये पुनर्भगतान और बकाया में वसूलियों इत्यादि का सारांश।
विवरणी सं.5	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटी का सारांश
विवरणी सं.6	वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश
विवरणी सं.7	वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय
विवरणी सं.8	वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण
विवरणी सं.9	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व का विस्तृत लेखा
विवरणी सं.10	वर्ष के लिये पृथक रूप से गैर योजनागत एवं योजनागत के अन्तर्गत लघु शीर्ष के राजस्व व्यय और मुख्य शीर्ष वार पूँजीगत व्यय के लेखे
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान तथा समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूँजीगत व्यय
विवरणी सं.12	वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में राज्य सरकार के निवेश का विवरण
विवरणी सं.13	वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों से बाहर) अन्य व्यय तथा पूँजीगत व्यय और प्रमुख ऋण जिसमें निधियाँ उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थीं।
विवरणी सं.14	ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संवितरणों और शेषों का विस्तृत लेखा।
विवरणी सं.15	सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा
विवरणी सं.16	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि, तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत लेखा

राजकोषीय संचय की समस्त रूपरेखा और प्रवृत्तियों के निर्धारण में प्रयुक्त कुछ चुनी हुई पदों की परिभाषा नीचे दी गई है :

पद	गणना का आधार
एक पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संदर्भ में एक पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (वृ.द.)	[(वर्तमान वर्ष की राशि / पिछले वर्ष की राशि) - 1] * 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान / [(पिछले वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएँ) * 2] * 100
ब्याज का विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि – औसत ब्याज दर
प्रमात्रा का विस्तार	ऋण स्टॉक* ब्याज का विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	ब्याज प्राप्ति [(प्रारम्भिक शेष + ऋणों और अग्रिमों का अन्तः शेष) * 100]
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्ति-विविध पूंजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज का भुगतान
वर्तमान राजस्व का शेष (व.रा.श.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटा सभी योजनागत अनुदान तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय प्रमुख शीर्ष 2048 – ऋण से बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अंतर्गत रिकॉर्ड खर्चों के अलावा

परिशिष्ट 1.3
राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आँकड़े
(पैराग्राफ 1.2 और 1.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पार्ट ए: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	25024.10	22393.17	25560.97	27980.69	29584.59
(i) कर राजस्व	16477.75	19971.67	23431.52	25918.69	26603.90
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
विक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	12068.62	13750.95	15803.69	17925.71	18289.31
राज्य उत्पाद शुल्क	2027.09	2533.72	2869.74	3151.63	3422.39
वाहनों पर शुल्क	707.55	1049.19	1240.18	1409.28	1558.83
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	1355.75	2240.25	3098.06	2969.07	2779.88
भूमि राजस्व	0.02	0.01	0.01	0.01	61.79
माल और यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर	318.71	397.54	419.84	463.00	491.70
(ii) गैर कर राजस्व	4188.95	460.87	626.93	659.14	632.54
(iii) केन्द्र कर व शुल्क में राज्य अंश	-	-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4357.40	1960.64	1502.52	1402.86	2348.14
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
3. ऋणों व अधिमों की वसूली	436.77	376.25	724.90	802.92	227.61
4. कुल राजस्व व गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	25460.87	22769.42	26285.87	28783.60	29812.20
5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	4388.94	556.08	922.41	4162.89	1764.32
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अधिमों और ओवरड्रापटों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
अर्थोपाय अधिमों और ओवरड्रापट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अधिम	4388.94	556.08	922.41	4162.89	1764.32
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	29849.81	23325.50	27208.28	32946.49	31576.52
7. आकर्षिक निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
8. सार्वजनिक खाता प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	29849.81	23325.50	27208.28	32946.49	31576.52
पार्ट बी: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	14381.74	17964.86	20659.36	22366.52	23509.49
योजनागत	4891.59	6440.86	6498.72	7462.28	7946.30
गैरयोजनागत	9490.15	11524.00	14160.64	14904.24	15563.19
सामान्य सेवाएँ (व्याज भुगतानों सहित)	3728.95	4347.23	5738.57	5597.48	5983.40
सामाजिक सेवाएँ	8718.80	10717.11	11737.43	12314.54	13306.11
आर्थिक सेवाएँ	1392.46	2172.22	2350.82	3650.01	3318.99
सहायता अनुदान और योगदान	541.53	728.29	832.53	804.50	900.99
11. पूँजीगत व्यय	3984.80	4004.27	4176.63	4707.42	4403.94
योजनागत	3981.32	3999.96	4171.74	4702.93	4399.12

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर योजनागत	3.48	4.31	4.90	4.49	4.82
सामान्य सेवाएँ	264.55	188.82	196.88	265.48	371.10
सामाजिक सेवाएँ	536.74	578.23	1100.95	1542.54	1330.11
आर्थिक सेवाएँ	3183.51	3237.22	2878.81	2899.41	2702.73
12. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	6364.73	3345.42	3734.83	5652.37	1679.94
13. कुल (10+11+12)	24731.27	25314.55	28570.82	32726.31	29593.37
14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	793.06	1087.88	1287.99	1325.29	1346.72
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
अर्थोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	793.06	1087.88	1287.99	1325.29	1346.72
15. आकर्षिक निधि से विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	25524.32	26402.42	29858.81	34051.60	30940.10
17. आकर्षिक निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. सार्वजनिक खाता संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	25524.32	26402.42	29858.81	34051.60	30940.10
पार्ट सी. घाटा					
20. राजस्व घाटा(−) / राजस्व आधिक्य (+)(1−10)	(+)10642.36	(+)4428.31	(+) 4901.61	(+)5614.17	(+)6075.10
21. राजकोषीय घाटा(−) / राजकोषीय आधिक्य(−) (4+13)	(+) 729.60	(-)2545.20	(-)2284.95	(-)3942.71	218.83
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(+) 3309.12	(+)372.06	(+)577.93	(-)1118.42	(+)2992.83
पार्ट भी. अन्य अँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2579.52	2917.26	2862.88	2824.29	2774.00
24. स्थानीय निकायों, इत्यादि को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपयोग किए गए ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए अग्रिम अर्थोपाय (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	252752.79	287106.88	334914.71	391124.80	451153.65
28. बकाया राजकोषीय देयताएँ	30140.09	29608.29	29242.71	32080.32	32497.91
29. बकाया गारण्टीय (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
पार्ट झ. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन गतिशीलता					
निजी कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	6.52	6.96	7.00	6.63	5.90
निजी गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	1.66	0.16	0.19	0.17	0.14
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	9.78	8.82	8.53	8.37	6.56
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	98.83	113.05	111.78	116.96	100.03
राजस्व व्यय/कुल व्यय	58.15	70.97	72.31	68.34	79.44

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय	43.41	51.88	50.23	46.60	53.85
आर्थिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय	27.88	27.48	22.58	32.26	21.48
पूँजीगत व्यय /कुल व्यय	16.11	15.82	14.62	14.38	14.88
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय / कुल व्यय	15.04	15.07	13.93	13.57	13.63
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष) / स.रा.घ.उ.	(+)4.21	(+)1.54	(+)1.46	(+)1.44	(+)1.35
राजकोषीय घाटा / स.रा.घ.उ.	(+) 0.29	(-) 0.89	(-) 0.68	(-)1.01	(-)0.05
प्राथमिक घाटा (अधिशेष) / स.रा.घ.उ.	(+) 1.31	(+) 0.13	(+) 0.17	(-)0.29	(+)0.66
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएँ/ स.रा.घ.उ.	11.92	10.31	8.73	8.20	7.20
राजकोषीय देयताएँ/ आर आर	120.44	132.22	114.40	114.65	109.85
प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा	(+) 177.08	(+) 32.32	(+) 28.21	(-)50.52	138.00
ऋण मुक्ति (मूल +व्याज) / कुल ऋण प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर वापसी	0.37	0.23	0.16	0.07	0.07
चालू राजस्व से प्राप्त शेष (₹ करोड़ में)	13515.26	9887.38	10231.39	12000.50	12001.21
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/ देयताएँ	90.94	94.79	97.88	99.14	98.60

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के कुल से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करते हैं

@ सरकार द्वारा सूचित स.रा.घ.उ. आंकड़े अपनाए गए हैं।

परिशिष्ट 1.4
(पैराग्राफ 1.5 को देखें)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ

	2010-11 (आर)	2011-12 (आर)	2012-13 (आर)	2013-14 (आर)	2014-15 (₹)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	252752.79	287106.88	334914.71	391124.80	451153.65
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.14	13.59	16.65	16.78	15.35
खोल:	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का कार्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार				

(आर)– संशोधित, (पी)– वैकल्पिक, (क्यू)– तत्काल आकलन, (ए)– अग्रिम आकलन

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	72,48,860	83,91,691	93,88,876	104,72,807	1,15,09,810*
स.घ.उ. का वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.66	15.77	11.88	11.54	9.90

खोल: 31 जुलाई 2015 को सी.एस.ओ. की वेबसाइट पर

जिसमें तीन राज्य – गोआ, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट 1.5

पार्ट ए: वर्ष 2014–15 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

खण्ड क : राजस्व			संवितरण					
प्राप्तियां						2014-15		
2013-14		2014-15	2013-14			गैरयोजनागत	योजनागत	कुल
27980.69	I. राजस्व प्राप्ति	29584.59	22366.52	I. राजस्व व्यय		15563.19	7946.30	23509.49
25918.69	कर राजस्व	26603.90	5597.48	सामान्य सेवाएं		5828.78	154.62	5983.40
			12314.54	सामाजिक सेवाएं		6344.87	6961.24	13306.11
659.14	—गैर-कर राजस्व	632.54	5654.70	—शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति		4361.05	1697.13	6058.18
			2624.59	—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		1475.88	1655.68	3131.56
-	—संघीय करों में राज्यों का अंश	-	2062.71	—जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास		248.17	1868.43	2116.60
			28.54	—सूचना एवं प्रसारण		14.50	0	14.50
326.91	—गैर—योजनागत अनुदान	327.95	231.94	—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		15.57	222.55	238.12
717.81	—राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	1467.36	92.13	—श्रम एवं श्रमिक कल्याण		88.52	12.21	100.73
			1612.09	—समाज कल्याण एवं पोषण		131.90	1505.24	1637.14
358.14	—केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	552.84	7.82	—अन्य		9.28	0	9.28

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

			3650.01	आर्थिक सेवाएं—	2488.54	830.45	3318.99
			86.87	—कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	77.64	8.49	86.13
			9.13	—ग्रामीण विकास	8.12	1.75	9.87
				—विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
			112.49	—सिंचाइ एवं बाढ़ नियंत्रण	136.21	0.06	136.27
			1069.34	—ऊर्जा	656.61	196.83	853.44
			30.47	—उद्योग एवं खनिज	9.84	20.76	30.60
			2070.63	—परिवहन	1472.44	562.35	2034.79
			21.43	—विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.50	18.29	19.79
			249.65	—सामान्य आर्थिक सेवाएं	126.18	21.92	148.10
			804.50	सहायता अनुदान एवं योगदान	900.99	0	900.99
			22366.52	कुल	15563.18	7946.31	23509.49
	II. राजस्व घाटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना		5614.17	II. राजस्व अधिशेष को आगे खण्ड ब तक ले जाना	-	-	6075.10
27980.69	कुल	29584.59	27980.69	कुल			29584.59

खण्ड—ब : पूँजीगत एवं अन्य						
1985.75	III. स्थायी अधिम एवं शेष नकद निवेश सहित प्रारंभिक नकद शेष	880.65		III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट		
-	iv. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-		iv. पूँजीगत रूपरेखा		
		265.48	सामान्य सेवाएं—	0	371.10	371.10
		1542.54	सामाजिक सेवाएं—	0	1330.11	1330.11
		514.40	—शिक्षा, खेल—कूद, कला एवं संस्कृति	0	496.64	496.64
		352.55	—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	490.44	490.44
		559.98	—जल आपूर्ति, स्वच्छता गृह एवं शहरी विकास	0	258.38	258.38
		-	—सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
		46.61	—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	38.54	38.54
	खण्ड—ब: अन्य (निष्कर्ष)					
		36.04	—समाज कल्याण एवं पोषण	0	32.54	32.54
		32.96	—अन्य	0	13.57	13.57
		2899.41	आर्थिक सेवाएं—	4.82	2697.91	2702.73
		14.60	—कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	0	17.33	17.33
		175.04	—ग्रामीण विकास	0	116.36	116.36
		-	—विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
		74.21	—सिंचाइ एवं बाढ़ नियंत्रण	4.82	81.49	86.31
		21.34	—ऊर्जा	0	85.32	85.32
		50.00	—उद्योग एवं खनिज	0	27.27	27.27
		2561.28	—परिवहन	0	2363.75	2363.75
		0.49	—विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0	0.39	0.39
		2.45	—सामान्य आर्थिक सेवाएं	0	6.00	6.00
		4707.43	कुल	4.82	4399.12	4403.94

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

802.91	v. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली—	227.61	5652.37	v. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली—	-	-	1679.94
-	— पॉवर परियोजनाओं से	-	3628.39	— पॉवर परियोजनाओं के लिए	-	-	295.00
-	—सरकारी कर्मचारियों से	-	0.74	—सरकारी कर्मचारियों को	-	-	0.71
-	—अन्यों से	-	2023.24	—अन्यों का	-	-	1384.23
-	vi. राजस्व अधिशेष कम किया गया	-		vi. राजस्व घाटा कम किया गया	-	-	-
			1325.29	vii. लोक ऋण की पुनरादायगी—	-	-	1346.73
4162.89	vii. लोक ऋण प्राप्ति—	1764.32	-	—बाह्य ऋण	-	-	-
-	— बाह्य ऋण	-	-	—अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	-
-	—अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	—अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन—देन	-	-	-
-	—अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन—देन	-	1325.29	—केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	-	-	1346.73
-	—ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन—देन	-	-	viii. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	-
4162.89	—केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1764.32	-	ix. आकस्मिक निधि से व्यय	-	-	-
-	आकस्मिक निधि में विनियोजन	-	-	x. लोक खाता संवितरण	-	-	-
-	आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि	-	-	—अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ	-	-	-
-	लोक लेखा प्राप्तियाँ	-	-	—आरक्षित निधियाँ	-	-	-
-	—लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	-	-	—उचंत एवं विविध	-	-	-

-	—आरक्षित निधियाँ	-	-	—प्रेषण	-	-	-
-	—उचंत एवं विविध	-	-	—जमा एवं अग्रिम	-	-	-
-	—प्रेषण	-	880.65	XI अंत में नकद शेष—			1517.07
-	—जमा एवं अग्रिम	-	-	—खजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	-	-	-
-	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट	-	-	—रिजर्व बैंक में जमा	-	-	-
-		-	-	—रस्थायी अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष	-	-	-
-		-		—नकद शेष निवेश			
34932.25	कुल	32457.17	34932.25	कुल	-	-	32457.17

**परिशिष्ट 1.5 (जारी)
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

पार्ट बी			
31 मार्च 2015 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति			
31.03.2014 को	देयताएँ		31.3.2015 को
32080.32	केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम		32497.91
-	1984–85 से पूर्व के ऋण		-
32080.30	गैर-योजनागत ऋण		32497.90
-	राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण		-
0.01	केन्द्रीय योजनागत परियोजनाओंके लिए ऋण		0.01
-	केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं हेतु ऋण		-
65015.70	राजस्व अधिशेष		71090.80
1587.95	सी जी ए से 1994–95 के दौरान स्वीकृत पूँजीगत परिव्यय का शेष		1587.95
3356.46	1994–95 के दौरान सी जी ए से स्वीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष		3356.46
102040.43	कुल		108533.12
परिसम्पत्तियाँ			
45422.50	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		49826.44
17060.35	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश		17660.35
28362.15	अन्य पूँजीगत परिव्यय		32166.09
55737.28	ऋण और अग्रिम		57189.61
10157.55	पाँवर परियोजनाओं हेतु ऋण		10450.52
30595.59	अन्य विकास ऋण		31837.82
14984.14	सरकारी कर्मचारियों को ऋण व विविध ऋण		14901.27
880.65	संघ सरकार के नकद शेष में विलयित नकद शेष		1517.07
102040.43	कुल		108533.12

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चूंकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में कमियाँ, जैसा कि परिशिष्ट 1.4 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखा में संपत्ति आधार के विपरीत नकद आधार में रिस्ति को दर्शाते हैं। परिणास्वरूप भुगतान योग्य या प्राप्ति योग्य मदों अथवा स्टॉक ऑकड़ों इत्यादि में अवमूल्यन या भिन्नता जैसी मद्दें खातों में नहीं दी गई हैं। सकल परिव्यय के अंतर्गत 31 मार्च 2014 तथा 31 मार्च 2015 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹ 45422.50 करोड़ तथा ₹ 49826.44 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹ 1587.95 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994–95 के दौरान महानियंत्रक (लेखा) से प्राप्त किए गए थे। इसी प्रकार परिसम्पत्तियों में दर्शाए गए 31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2014 के लिए क्रमशः ₹ 55,737.28 करोड़ तथा ₹ 57189.61 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम दर्शाए गए थे परन्तु इन वर्षों के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले ऑकड़े वित्त लेखों में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं।

परिशिष्ट – 2.1

₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के अनुदानों की सूची
(पैराग्राफ 2.3.1. को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/ विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	% शत	बचतों के कारण
राजस्व—दत्तमत								
अनुदान सं. 3— न्याय का प्रशासन								
1.	2014 वी.1 (1)(1)– सत्र – न्यायालय	356.23	84.54	440.77	354.09	86.68	19.67	निविदाओं का अन्तिम करण न होना, सक्षम प्राधि. कारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति तथा प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति
अनुदान सं. 6— शिक्षा								
2.	2202 ए.1 (2)(6)(1)– कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता	431.25	0.00	431.25	378.41	52.84	12.25	एम ए सी पी मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना, रिक्त पदों को भरा नहीं जाना
3.	2202 ए.1 (2)(7)(1)– अतिरिक्त विद्यालयी सुविधाएँ	2043.13	0.02	2043.15	1916.23	126.92	6.21	एम ए सी पी मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना, रिक्त पदों को भरा नहीं जाना
अनुदान सं. 07—चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य								
4.	2210 ए.1(1)(4)(6)– दिल्ली राज्य कौसर संरक्षण को सहायता अनुदान	87.00	0.00	87.00	21.00	66.00	75.86	कारण प्रतीक्षित
5.	2210 ए.1 (1) (5)(15)– दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (सी.ए.एस.एस.)	140.29	50.35	190.64	130.38	60.26	31.61	कारण प्रतीक्षित
6.	2210 एफ.1 (3)(1)(1)– चिकित्सा विज्ञान का विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	100.00	कारण प्रतीक्षित

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान / विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान / विनियोग	पूरक अनुदान / विनियोग	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	% शत	बचतों के कारण
7.	2210 ए.2 (1)(3)(10)– वरिष्ठ नागरिक पेशन योजना / वृद्धावरथा सहायता की वृद्धि	540.00	0.00	540.00	472.23	67.77	12.55	कारण प्रतीक्षित
अनुदान सं. 10— विकास								
8.	2030 ई.2(3)(1) (2)(4)– उत्तरी दिल्ली नगर निगम	385.00	0.00	385.00	330.84	54.16	14.07	कम बिक्री, प्राप्टी की खरीद के परिणामस्वरूप ड्यूटी शुल्क के स्थानान्तरण में कमी
9.	2030 ई. 2(3)(1)(2)(5)– दक्षिण दिल्ली नगर निगम	660.00	0.00	660.00	603.24	56.76	8.60	कम बिक्री, प्राप्टी की खरीद के परिणामस्वरूप ड्यूटी शुल्क के स्थानान्तरण में कमी
10.	2030 ई.2 (3) (1) (2) (6)–पूर्वी दिल्ली नगर निगम	176.00	0.00	176.00	113.03	62.97	35.78	कम बिक्री, प्राप्टी की खरीद के परिणामस्वरूप ड्यूटी शुल्क के स्थानान्तरण में कमी
अनुदान सं. 11— शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग								
11.	2215 ए.6(1)(2) (1)(3)– शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	380.00	0.00	380.00	200.00	180.00	47.37	जल मंत्रालय भारत सरकार से समय पर ए.सी.ए. के रूप में सहायता प्राप्त न होना
12.	2215 ए.6(2) (1)(5)– जे. एन.एन.यू.आर. एम. परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख नालों में अवरोधित सीवर के लिए दि.ज.बो. को स.अ.	344.20	0.00	344.20	47.53	296.67	86.19	कम ऋण जारी होना.
13.	2217 ए.8(2) (1)(26)– नगर सुधारों के लिए सहायता अनुदान	157.12	0.00	157.12	0.00	157.12	100.00	सक्षम अधिकारी से समय पर अनुमोदन प्राप्त न होना

क्र. सं.	अनुदान/ विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	% शत	बचतों के कारण
अनुदान 13 – पेंशन								
14.	2071. ए.1(1) (2)(1)– पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभ—सरकारी योगदान	113.50	0.00	113.50	0.00	113.50	100.00	कारण प्रतीक्षित
लोक ऋण: राजस्व प्रभारित								
15.	2049 ए.1 (1) (1)– राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र योजनागत रकीम के लिए ऋणों पर ब्याज	2979.53	0.00	2979.53	2774.00	205.53	6.90	भारत सरकार द्वारा कम अनुदान जारी किया जाना
लोक ऋण: पूँजीगत प्रभारित								
16.	ए.1(1)(1)– संसाधनों की कमी की पूर्ति हेतु ऋण	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	100.00	कारण प्रतीक्षित
पूँजीगत—दत्तमत								
अनुदान सं. 6– शिक्षा								
17.	4202 ए. 1(1)(2)– सामान्य शिक्षा—विद्यालय भवनों के कार्यों का बहि: स्रोतन	51.00	0.00	51.00	0.65	50.35	98.73	कारण प्रतीक्षित
18.	4250 बीबी.1 (1)(2)–जानपुर में विश्वस्तरीय 4 प्रवीणता उन्नयन केन्द्र	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
19.	6202 बीबी.2 (1)(1)(1)– सूचना तकनीकी संस्थान (सूतत. स.) इन्द्रप्रथ दिल्ली को ऋण	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	100.00	ऋण की राशि की विलम्ब से मंजूरी तथा सू. त.स., दिल्ली को स्थानान्तरित न किया जा सकना था

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान / विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान / विनियोग	पूरक अनुदान / विनियोग	कुल अनुदान / विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	% शत	बचतों के कारण
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग								
20.	4217 ए.1 (3) (1) (5) अनाधिकृत कालोनियों का विकास	335.00	0.00	335.00	180.57	154.43	46.10	राशि का बड़ा हिस्सा उपयोग में लाया जा चुका था।
21.	6215 ए.2(1) (1)(1)—शहरी जल आपूर्ति के लिए दि.ज.बो. को ऋण	541.00	0.00	541.00	383.50	157.50	29.11	पल्ला स्टिल पर वैचारिक रूपर पर डब्ल्यूटी.पी. प्लान्ट पर परियोजना निर्माण
22.	4210बीबी. (5(1)(1)(1)). अस्पताल के लिए भवन का निर्माण	388.00	0.00	388.00	232.20	155.80	40.15	कारण प्रतीक्षित
23.	5054 बीबी.11 (1)(1)(5)— जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	200.00	0.00	200.00	149.75	50.25	25.13	योजना की धीमी प्रगति
24.	4801 ईई.2(1) (1) (5)—झज्जार, हरियाणा में जेवीसी पावर प्लांट को इकिवटी अंशदान	72.60	0.00	72.60	0.00	72.60	100.00	सक्षम अधिकारी से समय पर अनुमोदन प्राप्त न होना
कुल		10895.85	134.91	11030.76	8287.65	2743.11		

परिशिष्ट 2.2

विभिन्न अनुदानों / विनियोजनों की विवरणी जहाँ पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त पड़े थे
(प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा उससे अधिक)
(पैराग्राफ 2.3.3. को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	बचत के कारण
राजस्व—दत्तमत					
अनुदान सं. 4—वित्त					
1.	3454.डी. 1(1)(2)(4)जनगणना कार्य पर व्यय	1.00	0.00	1.00	योजना का गैर—क्रियान्वयन
अनुदान सं. 6. शिक्षा					
2.	2202 ए.1(2)(7)(24). सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीक के अंतर्गत राज्य अंश	15.00	0.00	15.00	योजना का गैर—क्रियान्वयन
3.	2203 बी. 1(5)(10)—दिल्ली औषध विज्ञान एवं अनुसंधान को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00	योजना कार्यान्वित नहीं की गई
अनुदान सं. 7. चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य					
4.	2210 ए.1(1)(3)(1)—कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अंशदान	22.42	0.00	22.42	कारण प्रतीक्षित
5.	2210 ए.1(2)(1)(1) (3)—नए मेडिकल, कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी एवं पैरा—मेडिकल संस्थानों की स्थापना	5.00	0.00	5.00	योजना का गैर—क्रियान्वयन
6.	2210 सी. 1(2)(1)(5)—टेली मशीन सुविधाएँ	1.00	0.00	1.00	कारण प्रतीक्षित
7.	2210 एफ.1(3)(1) (1)—यूनीवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस	65.00	0.00	65.00	कारण प्रतीक्षित
8.	2211 के.1(5)(2).ग्राम परिवार कल्याण सेवायें	4.50	0.00	4.50	सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की गैर—प्राप्ति, दि.न.नि. को अनुदान नहीं दी।
9.	2210 एन. 1(2)(1)(1)—मेडिकल कॉलेज, रोहिणी	20.00	0.00	20.00	कारण प्रतीक्षित

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	बचत के कारण
अनुदान सं. 8. सामाजिक कल्याण					
10.	2235 बी.2(1)(3) (24)— इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएस वाई) (सीएमबी) राज्य अंश	1.48	0.00	1.48	राज्य योजना को कम अदायगी
11.	2225 सी.1(3)(1) (5)—हाथ से सफाई करने वाले कर्मचारियों तथा उनके सुधार के रूप में भर्ती के रोकथाम का कार्यान्वयन	10.00	0.00	10.00	कारण प्रतीक्षित
12.	3435 डी.5(1)(1) (3)— सैन्ट्रल सेन्टर प्राइवेट बस कलस्टर तथा पी.आई.एस. तथा परिचालन	10.00	0.00	10.00	कारण प्रतीक्षित
13.	3452 ई.1 (1)(1) (2)— दिल्ली इन्स्टीट्यूट ऑफ हॉटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टैक्नॉलॉजी को सहायता अनुदान	5.00	0.00	5.00	कारण प्रतीक्षित
अनुदान सं. 9. उद्योग					
14.	2230 बी.1(1)(2)(3)— रोजगार कार्यालय की कार्यशीली का कम्प्यूटरीकरण	2.00	0.00	2.00	प्रस्ताव चलाया गया परन्तु कार्यान्वित नहीं हुआ
15.	2230 सी.2(1)(3) (1)— बाल—श्रम का पुनर्वास	2.70	0.00	2.70	योजना को कार्यान्वित नहीं किया जाना
16.	2230 सी.2(1)(4)(1) (1)—दिल्ली स्वरथ कुटुम्ब सोसायटी को सहायता	4.00	0.00	4.00	अनुदान की गैर अदायगी
17.	3456 डी.1(2)(6)— राज्य खाद्य आयोग	4.90	0.00	4.90	पदों को न भरा जाना तथा कार्यालय का कार्यशील न होना
18.	3456 डी.1(4)(7)— ई.डब्ल्यू.एस. के लिए अन्न श्री योजना	21.60	0.00	21.60	योजना को कार्यान्वित नहीं किया जाना

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	बचत के कारण
अनुदान सं. 10. विकास					
19.	2053 ए.व.3 (3)(1) (2)—हैंडिटेट फ़ड़ के लिए नागरिक देखभाल	5.00	0.00	5.00	आ.क.ए. से प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति
20.	2053 ए.म.3(3)(1)(2) —हैंडिटेट फ़ड़ के लिए नागरिक देखभाल	5.00	0.00	5.00	कारण प्रतीक्षित
21.	2053 पी.(3)(1)(2)—हैंडिटेट फ़ड़ के लिए नागरिक देखभाल	5.00	0.00	5.00	कारण प्रतीक्षित
22.	2810 आर.4(1)(1) (2)—सौर ऊर्जा नवीकृत ऊर्जा	4.50	0.00	4.50	कारण प्रतीक्षित
23.	2401 आर. 6(2)(2)—शहरी कलस्टर के लिए शाकाहारी पहल	2.00	0.00	2.00	योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाना
अनुदान सं. 11. शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग					
24.	2216 ए.7(1)(1)(3)—कमज़ोर वर्गों के लिए गृह-निर्माण हेतु डी.एस.आई.डी.सी. को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)	130.00	0.00	130.00	कम अनुदान की अदायगी
25.	2216 ए.7(1)(1)(4)—कमज़ोर वर्गों के गृह-निर्माण हेतु दि.वि.प्रा. को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)	20.00	0.00	20.00	कम अनुदान की अदायगी
26.	2216 ए.7(1)(1)(6)—राजीव आवास योजना (डी.यू.एस.आई.बी.)	8.00	0.00	8.00	कम अनुदान की अदायगी
27.	2216 ए.7(1)(2)(4)—कमज़ोर वर्गों के लिए गृह-निर्माण हेतु न.दि.न.पा. को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)	1.00	0.00	1.00	सरकार से समय पर फण्ड की अदायगी न होना
28.	2217 ए.8(1)(1)(4)—कटरा निवासियों के संगठनात्मक सुधार तथा पुनर्वास के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को स.अ.	3.75	0.00	3.75	व्ययों में धीमी गति

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	बचत के कारण
29.	2217 ए.8(1)(7)– वर्तमान अवसंरचना के लिए डी.यू.एस. आई.बी. को स.अ.	2.50	0.00	2.50	कम अनुदान की अदायगी
30.	2217 ए.8(2)(1) (28)– कनॉट प्लेस के पुर्वविकास के लिए न.दि.न.प. को स.अ. (जे. एन.एन.यू.आर.एम.)	2.00	0.00	2.00	कम अनुदान की अदायगी
31.	2217 ए.8(2)(1)(34) –स्थापना प्रभारों के लिए डी.यू.एस. आई.बी. को सहायता अनुदान	1.06	0.00	1.06	सक्षम अधिकारी से मंजूरी नहीं प्राप्त हुई
32.	2217 ए.8(3)(1)(5)– वॉल्ड सिटी के पुर्वविकास हेतु एस.पी.वी.	5.00	0.00	5.00	बचतें उपलब्ध थीं, नवीन फण्ड अदा नहीं किए गए
33.	3054 ए.12(1)(1) (5)– शहरी सड़कों के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	10.00	0.00	10.00	अनुदान की गैर अदायगी
34.	3054 ए.12(1)(1) (6)– शहरी सड़कों के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (सी.आर.एफ. योजना)	15.00	0.00	15.00	अनुदान की गैर अदायगी
35.	3054 ए.12(1)(1) (7)– शहरी सड़कों के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (सी.आर.एफ. योजना)	20.00	0.00	20.00	अनुदान की गैर अदायगी
36.	3054 ए.12(1)(1) (8)– शहरी सड़कों के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (सी.आर.एफ. योजना)	5.00	0.00	5.00	अनुदान की गैर अदायगी

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	बचत के कारण
37.	3054 ए.12(1)(1) (9)— जे.एन.एन. यू.आर.एम. के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	10.00	0.00	10.00	अनुदान की गैर अदायगी
38.	3054 ए.12(1)(1) (10)— जे.एन.एन. यू.आर.एम. के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	25.00	0.00	25.00	ए.सी.ए. (भारत सरकार का हिस्सा) रोक दिया गया
39.	3054 ए. 12(1)(1) (11)— जे.एन.एन. यू.आर.एम. के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	30.00	0.00	30.00	सक्षम प्राधिकारी द्वारा फण्ड दिए जाने की स्वीकृति अनुमोदित नहीं हुई
40.	3475 ए.14(1)(3)— स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अधीन राज्य अंशदान के रूप में सामाजिक सुविधा संगम को अनुदान	3.75	0.00	3.75	प्रशासनिक कारण कार्य घौली / योजना के पहलुओं को प्रभावित कर रहे थे।
41.	2801 ई.2(2)(1)(8)— एल.ई.डी. बल्बों के लिए डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं को सहायता	27.88	0.00	27.88	एल.ई.डी. बल्बों की दरों में कमी के साथ, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त किए बिना स्कीम को कार्यान्वित किया गया।
अनुदान सं. 13: पेंशन					
42.	2071 ए.1(1) (2) (1)— सरकारी अंशदान	113.50	0.00	113.50	कारण प्रतीक्षित
पूँजीगत—दत्तमत					
लोक ऋण					
43.	2049 ए.1(1)(5)— गैर-योजना स्कीमों के लिए ऋणों पर ब्याज	300.00	0.00	300.00	कारण प्रतीक्षित
राजस्व: प्रभारित					
अनुदान सं. 4. वित्त					
44.	4059 एफएफ.1(1) (1)(1)—व्यापार तथा कर एनेक्सीज विल्डिंग	19.00	0.00	19.00	योजना की धीमी प्रगति

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	बचत के कारण
अनुदान सं. 6. शिक्षा					
45.	4250 बीबी.1(1)(2)— जानपुर में वल्ड क्लास रिक्ल अपग्रेडेशन सैन्टर	50.00	0.00	50.00	योजना का गैर—कार्यान्वयन
46.	6202 बीबी.2(1)(1) (1)— इन्द्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान, दिल्ली को ऋण	70.00	0.00	70.00	ऋण की राशि को देर से मंजूरी प्राप्त हुई तथा सू त.स. दिल्ली को स्थानान्तरित नहीं किया जा सका था।
47.	4202 जीजी.1(1)(1) (3)— संग्रहालय तथा कला गैलरी	1.00	0.00	1.00	योजना का गैर— क्रियान्वयन
अनुदान सं. 8. समाज कल्याण					
48.	4235 ए.1(1)(1) (1)—वर्तमान भवनों में (एस.डब्ल्यू.डी.) अतिरिक्त सुविधायों का प्रावधान	2.00	0.00	2.00	योजना का गैर— क्रियान्वयन
49.	4235 बीबी.1(1)(2) (1)— वर्तमान भवनों में अतिरिक्त सुविधायों के प्रावधान (डब्ल्यू.सी. .डी.)	2.00	0.00	2.00	कारण प्रतीक्षित
50.	6225 तीसी.2(2)(1) (1) .अ.जा./ अ. ज.जा./ अ.पि. व. अल्पसंख्यक के लिए दिल्ली स्वराजगार योजना हेतु डीएसएफडीसी को ऋण	19.00	0.00	19.00	कारण प्रतीक्षित
51.	5055 डीडी. 1(1)(3)—एक नए निरीक्षण पिट के लिए भूमि की खरीद	1.00	0.00	1.00	कार्य की धीमी प्रगति
52.	5055 डीडी. 1(2)(2)—बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को आंशिक पूँजी	69.82	0.00	69.82	दि.प.नि. को इकिवटी पूँजी की गैर अदायगी
53.	5055 डीडी.1(3)(1)— इलैक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसों का आरम्भ परिवहन के वैकल्पिक प्रकार	3.00	0.00	3.00	कारण प्रतीक्षित

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	बचत के कारण
54.	5055 डीडी.1(3)(2)– मोनो रेल	10.00	0.00	10.00	कारण प्रतीक्षित
55.	5055 डीडी.1(3)(3)– पैदल तथा गैर – मोटर वाहनों को प्रोत्साहन	1.00	0.00	1.00	योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाना
56.	5075 डीडी.2(1)(1) (2)– रिंग रेलवे/आर.आर.टी.एस. का उपयोग	5.00	0.00	5.00	योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाना
57.	7055 डीडी.4(1)(3)– केन्द्रीय करों की वापसी के लिए एम.आर.टी.एस. को ऋण	348.00	0.00	348.00	कारण प्रतीक्षित
58.	7055 डीडी.4(2)(1) – अ.रा.ब.ट. के लिए डी.टी.टी.डी.सी. को ऋण	30.00	0.00	30.00	ऋण की गैर अदायगी
59.	7452 ईई.2(1)(1) (1)– डी.टी. तथा डी. टी.सी. को अवसंरचना ऋण	20.00	0.00	20.00	कारण प्रतीक्षित
अनुदान सं. 11. शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग					
60.	4217 एए.1(2)(1)(1) – रा.रा.क्षे. विकास बोर्ड को शेयर पूँजी अंशदान	5.00	0.00	5.00	योजना का गैर क्रियान्वयन
61.	4217 एए.1(3)(1) (1)– सामाजिक सांस्कृति केन्द्रों का निर्माण	1.00	0.00	1.00	योजना का गैर क्रियान्वयन
62.	4217 एए.1(3)(1) (6)– ई.डब्ल्यू.एस.के लिए गृहों के निर्माण हेतु कंजावला गाँव में भूमि का क्रय	2.00	0.00	2.00	योजना का गैर क्रियान्वयन
63.	6215 एए.2(1)(1) (11)–चन्द्रावल डब्ल्यू.टी.पी.के लिए दि.ज.बो. को ऋण	30.00	0.00	30.00	परियोजना अभी तक वैचारिक स्तर पर है।
64.	6215 एए.2(1) (1) (12)–चन्द्रावल डब्ल्यू.टी.पी.के लिए दि.ज.बो. को ऋण	10.00	0.00	10.00	परियोजना अभी तक वैचारिक स्तर पर है।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	बचत के कारण
65.	6217 ए.3(1)(7) (1)– नालों को ढकने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को ऋण	1.00	0.00	1.00	उत्तरी दि.न.नि. ने निवेदन किया कि तीसरी और अन्तिम किश्त न दी जाए।
66.	7055 ए.9(1)(1) (2)– जे.एन.एन. यू. आर.एम. स्कीम के तहत सड़कों के निर्माण हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को ऋण	10.00	0.00	10.00	पेन्टिंग परियोजना कार्यान्वयित नहीं की गई अतः फण्ड नहीं दिया गया
67.	7055 ए.9(1)(1) (4)जे.एन.एन.यू आर.एम. स्कीम के तहत सड़कों के निर्माण हेतु (पूर्वी दिल्ली) दिल्ली नगर निगम को ऋण	10.00	0.00	10.00	ऋण की गैर अदायगी
68.	4059 बीबी.2(1)(2) (14)– उत्पाद, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग भवन	2.00	0.00	2.00	कार्य की धीमी प्रगति
69.	4225 बीबी.15(1)(1) (1)–बक्कर वाला गाँव में अ.जा. के लिए शैक्षणिक हब का निर्माण	1.00	0.00	1.00	कार्य की धीमी प्रगति
70.	4801 ईई.2(1)(1) (5)– झज्जर, हरियाणा में जे.वी. सी. पावर स्लान्ट को इकिवटी अंशदान	72.60	0.00	72.60	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ
71.	4801 ईई.2(1)(1)(8) – दिल्ली पुनः नवीकरण ऊर्जा तथा पावर कम्पनी डी.आर.ई.पी.सी. के लिए इकिवटी	5.00	0.00	5.00	कम इकिवटी की अदायगी
72.	4801 ईई.2(1)(2)(3) – मैरा-11 महान कोल ब्लॉक का विकास	1.00	0.00	1.00	योजना का गैर कार्यान्वयन
	पूंजीगत: प्रभारित				
	लोक ऋण				
73.	6004 ए.1(1)(1)– संसाधनों में कमी को पूरा करने के लिए ऋण	330.00	0.00	330.00	कारण प्रतीक्षित
	कुल	2082.96	0.00	2082.96	

परिशिष्ट – 2.3

वर्ष 2014–15 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है
 (पैराग्राफ 2.3.5. को देखें)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक राशि
अनुदान सं. 6 : शिक्षा				
1.	2202 ए. 1(2)(4)(1)– निदेशक तथा प्रशासन	19.00	20.59	1.59
2.	2202 ए. 1(2)(7)(9)– विद्यालयों के पुस्तकालय का सुधार	170.00	201.70	31.70
3.	2202 ए. 1(4)(4)(1)– सामाजिक शिक्षा की स्थापना	105.80	108.29	2.49
4.	2202 ए. 1(4)(4)(20)– शिक्षा का अधिकार अधिनियम	1850.00	1902.34	52.34
5.	2202 ए. 1(4)(4)(22)– माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समनवित शिक्षा का राज्य अंश (आई.ई.डी.एस.एस.)	50.00	72.91	22.91
6.	2204.ए.2 (2) (1)– राष्ट्रीय सेवा योजना	60.00	62.47	2.47
अनुदान सं. 8 : समाज कल्याण				
7.	2235 ए.2(1)(2)(3). शिक्षक प्रशिक्षण इकाई तथा लेडी नोइस मूक और बधिर स्कूल के लिए	443.60	449.01	5.41
8.	2225 बी.1 (1)(1)(1)– अधिसूचित जनजातियों तथा आ.जा. के लड़के–लड़कियों के लिए संस्कार आश्रम	80.30	82.67	2.37
9.	2235 बी.2(1)(2)(19)–राज्य बाल सुरक्षा सोसाईटी के लिए सहायता अनुदान (सीएसएस)	900.00	924.89	24.89
10.	2235 बी.2(1)(2)(20)– आईसीडीएस के अंतर्गत सामाजिक कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान (सीएसएस)	49.00	71.61	22.61
11.	2235 बी.2(1)(3)(19)– लाडली योजना	8800.00	8958.34	158.34
12.	2236बी.3(1)(1)(1)– किशोरी कन्या योजना (किशोरी शक्ति योजना)	105.00	129.22	24.22
	कुल	12632.70	12984.04	351.34

परिशिष्ट –2.4
अधिक / अनावश्यक पूरक प्रावधान
(पैराग्राफ 2.3.6 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा सं.	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	पूरक प्रावधान	बचत के कारण
राजस्व—दत्तमत						
अनुदान सं. 3 : न्यायिक प्रशासन						
1	2014 वी.1(1)(1)—सत्र — न्यायालय	356.23	354.09	2.14	67.36	निविदाओं का अन्तिमकरण न होना, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति तथा प्रत्याशित विलों की गैर-प्राप्ति
अनुदान सं. 8—सामाजिक कल्याण						
2	2225 सी. 1(2)(1)(2)—सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली आयोग को सहायता अनुदान	1.96	0.84	1.12	1.08	कारण प्रतीक्षित
	कुल	358.19	354.93	3.26	68.44	

परिशिष्ट 2.5

निधियों का अधिक / अंनावश्यक पुनर्विनियोजन
 (जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)
 (पैराग्राफ 2.3.7 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचत के कारण
राजस्व प्रभारित				
अनुदान सं. 3.न्यायिक प्रशासन				
1.	2014 बी.1(1)(1)– सत्र न्यायालय	17.18	86.67	निविदाओं को अंतिम रूप न दिया जाना, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होना और प्रत्याशित बिलों का न प्राप्त होना
2.	2014 बी.1(1)(2)– जिला और सत्र न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण	3.40	2.12	प्रतीक्षित
अनुदान सं. 4. वित्त				
3.	2039 ई.1 (4) (1)– उत्पाद शुल्क व मनोरंजन विभाग की स्वचलन क्रिया	12.03	4.08	सभी अनुमानित व्यय नहीं हुए और इसलिए अभ्यर्पित प्रस्ताव नहीं भेजे गए।
4.	3454 आई.1(1)(2)(6)– डिजिटल दिल्ली कामनवेल्थ खेलों की तैयार सहित	2.24	2.68	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भुगतान के समय प्राप्त नहीं हुआ
5.	3454 आई.1(1)(2)(9)– सामाजिक सुविधा संगम का भाग	0.36	1.19	प्रणाली समन्वयक के भुगतान हेतु दावा नहीं किया गया
पूँजी–दत्तमत				
6.	4059 एफएफ.1(1)(1)(2)– लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–भवन का नवीनीकरण / मरम्मत	12.90	13.33	प्रतीक्षित
राजस्व दत्तमत				
अनुदान सं. 5 : गृह				
7.	2210 ए.2(1)(1)(1)– सेंट्रल जेल हास्पिटल	1.50	2.27	मंडोली कारागार का प्रचालन न होना
राजस्व दत्तमत				
अनुदान सं. 6: शिक्षा				
8.	2202 ए.1(2)(7)(17)– +2 स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान का प्रारंभ	4.99	1.77	प्रतीक्षित
9.	2202 ए.1(4)(4)(19). युवा योजना	1.00	2.49	प्रतीक्षित
10.	2202 ए.1(4)(4)(23). लड़कियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता	1.00	1.45	प्रतीक्षित
11.	2236 ए.4 (1)(1)(1)– बच्चों के लिए मध्याहन भोजन	0.03	5.34	प्रतीक्षित
12.	2203.बी.1(5)(11)– महिलाओं के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय हेतु सहायता अनुदान	2.99	5.03	क्रय प्रस्तावों का क्रियान्वयन न होना

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचत के कारण
13.	2230 बी.2 (1)(3)(5)– कौशल विकास प्रारंभ योजना (सीएसएस)	10.16	10.17	प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए और भारत सरकार से निधि जारी होने में विलंब
14.	2204 डी.1(1)(1)– एनसीसी/एसीसी	1.53	2.46	रिक्त पद और स्टाफ चुनाव डयूटी में होने के कारण बिल प्रॉसेस नहीं हो पाना
15.	2205 ई.1(1)(1)– मुख्यालय स्थापना	0.08	1.61	रिक्त पद, क्रय प्रस्ताव क्रियान्वित न होना, कम दावे प्राप्त होना
16.	2206 एफ.2(1)(2)– उर्दू अकादमी को अनुदान	0.11	1.79	विधान सभा चुनावों के कारण आचार संहिता लागू होना
पूँजीगत दत्तमत्त				
17.	4202 जेजे 1(1)(1)(2)– अंबेडकर विश्वविद्यालय का निर्माण	4.10	8.67	प्रतीक्षित
राजस्व दत्तमत्त				
अनुदान सं. 7 : चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
18.	2210 ए.1(1)(1)– चिकित्सा स्था.	0.12	5.59	प्रतीक्षित
19.	2210 ए.1(1)(3)(1)– कर्मचारी राज्य बीमा निगम को सहायता	22.41	22.42	प्रतीक्षित
20.	2210 ए.1(1)(4)(3)– मानव व्यवहार तथा संबंध विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान	1.99	14.95	प्रतीक्षित
21.	2210 ए.1(1)(5)(6)– स्वास्थ्य संबंधी प्रयोजन के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनुदान	1.00	29.69	प्रतीक्षित
22.	2210 ए. 1(1)(5)(15)– दिल्ली स्वास्थ्य मिशन (सीएसएस)	50.34	60.26	प्रतीक्षित
23.	2210 बी.1(1)(1)– लोक नायक हास्पिटल	13.65	8.25	प्रतीक्षित
24.	2210 सी.1(1)(1)– जी.बी. पंत हास्पिटल	21.30	28.63	प्रतीक्षित
25.	2210 डी.1(1)(1)– अरुणा आसफ अली गवर्नरमेंट हास्पिटल (सिविल हास्पिटल)	0.18	5.87	रिक्त पद न भरे जाना और क्रय का समय पर क्रियान्वित नहीं होना
26.	2210 एफ.1(1)(1)– गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल	2.75	22.11	प्रतीक्षित
27.	2210 जी.1;(1)(1)– गुरु नानक आई सेंटर	2.62	3.56	प्रतीक्षित
28.	2210 ए.च.1(1)(1)–मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज	6.06	7.33	रिक्त पद, कम बिलों की प्राप्ति और कम विदेशी
29.	2210 के.1(3)(1)– शहरी परिवार कल्याण केंद्र (सीएसएस)	8.67	9.21	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होना, दि.न.नि. को अनुदान न जारी होना

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचत के कारण
30.	2210 के.1(3)(2)– शहरी परिवार कल्याण केंद्रों की नवीनीकरण (सीएसएस)	3.30	3.93	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होना, दि.न.नि. को अनुदान न जारी होना
31.	2210 के.1(3)(3)– हास्पिटलों में पोस्ट-पार्टम यूनिट पर व्यय	12.50	14.90	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होना, दि.न.नि. को अनुदान जारी न होना
32.	2210 के.1(5)(2)– ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ	3.00	4.50	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होना, दि.न.नि. को अनुदान जारी न होना
33.	2210 ए.1(1)(1)(1)– संजय गांधी मेमोरियल हास्पिटल	7.59	8.46	प्रतीक्षित
34.	2210 ए.1(3)(1)(1)(2)– आयुष औषधालयों में जरूरी दवाएँ	3.24	4.00	भारत सरकार से निधि समय पर प्राप्त न होना
35.	2210 ए.1(3)(1)(1)(3)–आयुष औषधालयों में जरूरी दवाएँ राज्य अंश	1.12	1.32	केंद्रीय अंश न होने के कारण राज्य अंश को उपयोग न करना
36.	2210 ए.1(2)(1)(1)– रोहिणी में मेडिकल कॉलेज	19.99	20.00	प्रतीक्षित
37.	2210 टी.1(1)(1)(1)– सरदार बलभ भाई पटेल हास्पिटल	1.79	1.46	क्रय प्रस्ताव समय पर क्रियान्वित न होना
38.	2210 एक्स.1(1)(1)(1)– आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल	3.72	5.56	प्रतीक्षित
39.	2210 वाई.1(1)(1)(1)– शारी पार्क कालोनी हास्पिटल	0.35	3.42	प्रतीक्षित
40.	2210 वी.1(1)(1)(1)– बाबू जगजीवन राम हास्पिटल (एससीएसपी)	0.68	1.93	निविदाओं को निर्धारित नहीं किया गया, अधूरे बिल प्राप्त होना
राजस्व दत्तमत				
अनुदान सं. 8 : समाज कल्याण				
41.	2235 ए.2(1)(2)(16)– विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता	6.99	13.32	प्रतीक्षित
42.	2235 ए.2(1)(2)(21)– मानसिक रोगियों हेतु गृह (आशा दीप व आशा ज्योति)	1.49	1.37	प्रतीक्षित
43.	2235 ए.2(1)(3)(3)– कुछ रोगियों के लिए पुनर्वास केन्द्र	3.77	1.15	प्रतीक्षित
44.	2235 बी.2(1)(1)(1)– महिला एवं बाल विकास निदेशालय	1.85	1.01	प्रतीक्षित
45.	2225 सी.1(1)(8)– पब्लिक स्कूलों में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति एससीएसपी)	4.99	1.49	प्रतीक्षित
46.	2225 सी.1(1)(3)(4)- अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए हॉस्टल	0.90	1.78	प्रतीक्षित

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचत के कारण
47.	2225 सी.1(3)(5)— विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को किताबों और स्टेशनरी की मुफ्त सप्लाई	2.49	3.83	प्रतीक्षित
48.	2225 सी.1(3)(3)— अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	0.36	6.91	प्रतीक्षित
49.	2041 डी.1(4)(3)— सड़क सुरक्षा कक्षा और एनजीओ को सहायता अनुदान	0.99	1.01	प्रतीक्षित
50.	3075 डी.4(1)(4)— डीएनआरसी में स्वयं सेवकों को बिक्री कर/निर्माण कार्य संविदा शुल्क की प्रतिपूर्ति	73.05	13.81	प्रतीक्षित
51.	3452 ई.1(2)(2)— दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा	0.50	1.18	प्रतीक्षित
पूंजीगत दत्तमत				
अनुदान सं. 8: समाज कल्याण				
52.	4235 एए. 1(1)(2)(2)— हाफवे होम/लॉग स्टे होम	4.99	5.63	प्रतीक्षित
53.	4235 बीबी. 1(1)(1)(2)— कामकाजी महिला हॉस्टल का निर्माण	4.70	4.70	प्रतीक्षित
54.	4235 बीबी. 1(1)(2)(1)— वर्तमान भवन में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (डबल्यू सी डी)	1.10	2.00	प्रतीक्षित
राजस्व दत्तमत				
अनुदान सं. 9: उद्योग				
55.	2851 ए.2(6)(6)— हैण्डलूम के कपड़े की बिक्री पर छूट (सी एस एस)	1.49	1.90	प्रतीक्षित
56.	2851 ए.2(6)(7)— दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा सी एस एस	2.69	3.30	प्रतीक्षित
57.	3456 डी.1(1)— निर्देशन व प्रशासन	3.99	2.16	प्रतीक्षित
राजस्व दत्तमत				
अनुदान सं. 10: विकास				
58.	2235 ई.6(1)(1)—संचिव राजस्व	9.94	1.69	सही और पूर्ण रूप से भरे हुए राहत दावों की गैर प्राप्ति
59.	2015 जी.5(1)(1)(1)— चुनावों पर व्यय	5.10	3.60	प्रतीक्षित
60.	2053 एच.3(1)(1)— नई दिल्ली क्षेत्र	2.97	1.05	प्रतीक्षित
61.	2015 एच.6(1)(1)(1)— चुनावों पर खर्च	7.50	2.63	प्रतीक्षित
62.	2015 जे.6(3)(1)— दक्षिण पश्चिम जिला	3.50	3.41	प्रतीक्षित

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचत के कारण
63.	2015 जे.6(5)(1)(1)— चुनावों पर खर्च	10.00	5.13	प्रतीक्षित
64.	2015 के.6(1)(1)(1)— चुनावों पर खर्च	8.00	1.14	प्रतीक्षित
65.	2015 एन.6(1)(1)(1)— चुनावों पर खर्च	12.14	1.03	प्रतीक्षित
66.	2015 ओ.7(1)(1)(1)— चुनावों पर खर्च	8.50	4.53	प्रतीक्षित
67.	2015 ओ.7(5)(1)(1)— चुनावों पर खर्च	3.00	1.17	प्रतीक्षित
राजस्व दत्तमत्त				
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग				
68.	2070.ए.3(2)(1)— अर्थदण्ड, जब्ती की राशि की प्रतिपूर्ति	2.99	1.85	अर्थदण्ड और जब्ती की राशि की प्रतिपूर्ति के दावे दक्षिण दि.न.नि. से प्राप्त नहीं हुए
69.	3054 ए.12(1)(1)(13)— आरओवी/आरयूवी के निर्माण हेतु दक्षिण दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	3.99	10.25	दक्षिण दि.न.नि. के पास पर्याप्त अव्ययित धनराशि थी।
70.	2059 बी.1 (1)(4)— रखरखाव और मरम्मत	5.00	2.78	प्रतीक्षित
71.	2216 बी.2 (1)(1)(1)— निर्माण	0.50	1.09	प्रतीक्षित
72.	2216 बी.2 (1)(1)(3)— किराया, दरें और कर	2.00	2.74	प्रतीक्षित
73.	2801 ई. 2(2)(1)(2)— ग्राहकों को डिस्काम के माध्यम से सब्सिडी	70.06	38.13	मार्च 2015 के बिल में डिस्कामों के पास संवितरित नहीं की गई सब्सिडी
74.	2801 ई. 2(2)(1)(8)— डिस्काम के जरिए एल.ई.डी. बल्बों के माध्यम से ग्राहकों को सब्सिडी	27.87	27.88	एल.ई.डी. बल्बों की दरों में कमी के साथ सक्षम प्राधिकारी न योजना सब्सिडी के बिना कियान्वित की
पूँजीगत — दत्तमत्त				
75.	4055 बीबी.1(1)(1)— दिल्ली न्याय विज्ञान प्रयोगशाला	1.50	2.64	प्रतीक्षित
76.	4059 बीबी.2(1)(2)(1)— दिल्ली सरकार संचालन भवन	2.70	1.72	प्रतीक्षित
77.	4059 बीबी.2(1)(2)(4)— न्यायालय भवन	1.10	2.45	प्रतीक्षित
78.	4059 बीबी.2(1)(2)(5)— उपायुक्त कार्यालय	4.00	4.71	प्रतीक्षित
79.	4070 बीबी.3(1)(2)— सेंट्रल जेल भवन	8.00	1.76	प्रतीक्षित
80.	4202 बीबी.4(1)(2)(1)— माध्यमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण	60.03	3.27	प्रतीक्षित

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचत के कारण
81.	4202 बीबी.4(1)(3)(1)– शिक्षा विभाग के वर्तमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं / नवीनीकरण कार्य	0.75	1.37	प्रतीक्षित
82.	4202 बीबी.4(1)(5)(2)– विद्यालयों के लि. भवनों का निर्माण (एससीएसपी)	5.00	5.55	प्रतीक्षित
83.	4202 बीबी.4(3)(1)(3)– खेल के मैदान, स्थिरिंग पूल, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स	0.90	1.04	प्रतीक्षित
84.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(13)– डीडीयू सुपर स्पेश्यलिटी हॉस्पिटल, जनकपुरी	5.00	2.87	प्रतीक्षित
85.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(18)– गुरु नानक आई हॉस्पिटल	1.00	1.07	प्रतीक्षित
86.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(20)– दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल	1.00	2.37	प्रतीक्षित
87.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(23)– आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल	1.00	1.07	प्रतीक्षित
88.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(28)– डा.एन. सी. जोशी हॉस्पिटल	2.00	2.61	प्रतीक्षित
89.	4210 बीबी.5(1)(2)(2)– लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल	0.50	2.30	प्रतीक्षित
90.	4210 बीबी.5(1)(2)(4)– औषाधालयों / स्वास्थ्य कैंपों के लिए भवन का निर्माण (एससीएसपी)	2.00	3.57	प्रतीक्षित
91.	4235 बीबी.7(1द्वा)(3)(3)– वृद्धावस्था गृह	4.35	4.35	प्रतीक्षित
92.	5054 बीबी.11(1)(1)(1)– सड़कों एवम् पुलों का निर्माण	56.90	4.14	प्रतीक्षित
93.	4801 ईई.2(1)(2)(1)– भूमि का क्रय	75.00	14.67	सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया
कुल		796.10	680.65	

परिशिष्ट 2.6

निधियों का ₹ एक करोड़ से अधिक तथा मूल प्रावधान के 60 प्रतिशत अभ्यर्पण के मामले
(पैराग्राफ 2.3.8 देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम व संख्या	मुख्यशीर्ष/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	मूल प्रावधान का प्रतिशत	अभ्यर्पण का कारण
1	अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन	2013 बी.1(3)(3)-कार्यालय व्यय	3.50	2.50	71.43	कार्यालय मदों पर कम व्यय
2	अनुदान सं. 4 : वित्त	2054 ऐ.1(1)(2)(1)-प्रधान लेखा अधिकारी ई.डी.पी. सैल	20.52	15.38	74.95	योजना की धीरे प्रगति
3	अनुदान सं. 5: गृह	2070 डी.1(1)(1)(1)-वेतन	14.15	8.53	60.28	सिक्त पदों का न भरा जाना
4	अनुदान सं. 6: शिक्षा	2202 ऐ.1(2)(7)(24)-सूचना तथा वाणिज्य तकनीक के अधीन राज्य शेयर	15.00	15.00	100.00	योजना की धीरे प्रगति
5		2203 बी.1(5)(9)(2)-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	50.00	33.00	66.00	अनुदान की कम अदायगी
6		2203 बी.1(5)(12)(1)-सहायता अनुदान—सामान्य	4.50	4.50	100.00	अनुदान की कम अदायगी
7		2202 जे.1(1)(1)(1)-सहायता अनुदान—सामान्य	10.00	6.42	64.20	अनुदान की कम अदायगी
8		2202 जे.1(1)(1)(2)-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	5.00	5.00	100.00	अनुदान की कम अदायगी
9		4250 बीबी.1(1)(2) एवं जोनापुर में वर्ल्ड क्लास स्किल केन्द्र का अपग्रेडेशन	50.00	50.00	100.00	योजना का गैर-कार्यान्वयन
10		6202 बीबी.2(1')(1)(1)-इन्द्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान (ई.सू.त.सं.) दिल्ली को ऋण	70.00	45.00	64.29	अनुदान की कम अदायगी
11		4202 जीजी।(1)(1)(4)-डी. टी.टी.डी.री. (सी.एस. एस.) द्वारा स्मारकों की साफ—सफाई व संरक्षण	4.00	4.00	100.00	योजना का गैर-कार्यान्वयन
12	अनुदान सं. 7: विकित्सा जन स्वास्थ्य	2210 ऐ.1(4)(1)(1)(4)-कार्यालय व्यय	146.89	120.84	82.27	योजना का गैर-कार्यान्वयन

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान का नाम व संख्या	मुख्यशीर्ष / उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	मूल प्रावधान का प्रतिशत	अभ्यर्पण का कारण
13	अनुदान सं. 8 : समाज कल्याण	2225 सी.1(1)(3)(12)- मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति योजना (सी.एस.एस.)	8.50	6.00	70.59	भा.स. से कम अनुदान की प्राप्ति
14		2225 सी.1(1)(3)(13)- मेरिट / साधन आधारित छात्रवृत्ति (सी.एस.एस.)	4.00	3.24	81.00	भा.स. से कम अनुदान की प्राप्ति
15		3435 डी.5(1)(1)(3)- संचालन तथा नियंत्रण केन्द्र प्राइवेट बस कलस्टर तथा पी.आई.एस.	10.00	6.00	60.00	योजना की धीरे प्रगति
16		5055 डीडी.1(2)(2)- बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को इकियटि पूँजी	69.82	69.82	100.00	दि.प.नि. को इकियटि पूँजी की गैर-अदायगी
17.		5055 डीडी.1(3)(2)- मोनो रेल	10.00	6.32	63.20	योजना की धीरे प्रगति
18.		5075 डीडी.2(1)(1)(2)- रिंग रेलवे / आर.आर.टी. एस. का उपयोग	5.00	5.00	100.00	योजना की धीरे प्रगति
19.		7055 डीडी.(4)2(1)- अ.रा. ब.ट. के लिए डी.टी.आई. डी.सी. को ऋण	30.00	30.00	100.00	ऋण की गैर अदायगी
20	अनुदान सं. 9 : उद्योग	2230 सी.2(1)(4)(1)(1) (1)- सहायता अनुदान सामान्य	3.89	3.89	100.00	अनुदान जारी नहीं किये गए
21		3456 डी.1(2)(6)(1)- वेतन	3.90	3.90	100.00	रिक्त पदों का न भरा जाना
22		3456 डी.1(3)(5)- टीपीडी एस-स्टेट शेयर का कम्प्यूटरीकरण	6.00	4.50	75.00	योजना की धीरे प्रगति
23		3456 डी.1(4)(7)- ई. डब्ल्यू. एस. के लिए अन्नश्री योजना	21.60	21.60	100.00	योजना का गैर कार्यान्वयन होना
24		5475 डीडी.1(1)(2)- जन वितरण प्रणाली को सरल बनाना	7.00	6.50	92.86	योजना की धीरे प्रगति
25	अनुदान सं. 10 : विकास	2053 ई.3(3)(1)(3)(1)- सहायता अनुदान—सामान्य	3.00	2.99	99.67	फण्डस जारी नहीं किये गए।
26		2053 जी.2(3)(1)(3)- नागरिक देखभाल के लिए निवास—स्थान फण्ड	5.00	3.26	65.20	आ.क.स. से प्रस्ताव की गैर- प्राप्ति

क्र. सं.	अनुदान का नाम व संख्या	मुख्यशीर्ष / उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	मूल प्रावधान का प्रतिशत	अभ्यर्पण का कारण
27		2053 ए.3(3)(1)(2)- नागरिक देखभाल के लिए निवास-स्थान फण्ड	5.00	4.99	99.80	आ.क.स. से प्रस्ताव की गैर- प्राप्ति
28		2053 आई.2(3)(1)(3)- नागरिक देखभाल के लिए निवास-स्थान फण्ड	5.00	4.00	80.00	आ.क.स. से प्रस्ताव की गैर- प्राप्ति
29		2053 के .3(3)(1)(2)- नागरिक देखभाल के लिए निवास-स्थान फण्ड	5.00	3.50	70.00	आ.क.स. से प्रस्ताव की गैर- प्राप्ति
30		2053 ए.ल.3(3)(1)(3)- नागरिक देखभाल के लिए निवास-स्थान फण्ड	5.00	3.00	60.00	आ.क.स. से प्रस्ताव की गैर- प्राप्ति
31		2053 ए.न.3(3)(1)(2)- नागरिक देखभाल के लिए निवास-स्थान फण्ड	5.00	4.00	80.00	आ.क.स. से प्रस्ताव की गैर- प्राप्ति
32		2053 पी.3(3)(1)(2)- नागरिक देखभाल के लिए निवास-स्थान फण्ड	5.00	4.45	89.00	आ.क.स. से प्रस्ताव की गैर- प्राप्ति
33		2401 आ.र.6(2)(2)- शहरी कलस्टर के लिए शाकाहारी पहल (वी.आआई.यू.सी.)	2.00	2.00	100.00	योजना का गैर कार्यान्वयन
34	अनुदान सं. 11: शहरी विकास लोक निर्माण विभाग	2215 ए.6(2)(1)(5)(1)- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	344.20	296.67	86.19	अनुदान की कम अदायगी
35		2215 ए.6(2)(1)(8)- राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सीएएस.एस.)	62.13	62.13	100.00	भा.स. से प्रस्ताव की गैर प्राप्ति
36		2216 ए.7(1)(1)(3)(1)- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	130.00	130.00	100.00	अनुदान की कम अदायगी
		कुल	1149.60	997.93		

परिशिष्ट 2.7

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिसमें बचत हुई परन्तु जिसका कोई अंश अभ्यर्पित नहीं हुआ की विवरणी
(पैराग्राफ 2.3.9 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
1	4	वित्त— प्रभारित	0.05
2	6	शिक्षा— प्रभारित	16.32
3	9	उद्योग— प्रभारित	4.50
4	11	शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग— प्रभारित	1.39
5	13	पेंशन— दत्तमत	11536.87
कुल			11559.13

परिशिष्ट 2.8

₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचत का विवरण जो कि अभ्यर्पित नहीं की गई
(पैराग्राफ: 2.3.9 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/ विनियोजन का नाम व संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित होनी है
1	अनुदान संख्या 1— विधान सभा	दत्तमत	4.62	3.13
2	अनुदान संख्या 3— न्याय का प्रशासन	प्रभारित	7.12	4.99
		दत्तमत	116.62	0.02
3	अनुदान संख्या 4— वित्त	दत्तमत	82.45	6.00
4	अनुदान संख्या 5— गृह	दत्तमत	58.23	24.85
5	अनुदान संख्या 6— शिक्षा	दत्तमत	764.78	419.45
6	अनुदान संख्या 7—चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	दत्तमत	597.44	139.77
7	अनुदान संख्या 8—समाज कल्याण	दत्तमत	1025.56	130.85
8	अनुदान संख्या 9— उद्योग	दत्तमत	131.38	81.73
9	अनुदान संख्या 10— विकास	दत्तमत	366.31	177.85
10	अनुदान संख्या 11— शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	दत्तमत	1938.42	1083.42
11	लोक ऋण	प्रभारित	505.54	205.48
	कुल		5598.47	2277.54
				3320.93

परिशिष्ट 2.9
अवास्तविक बजटीकरण जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान सीएसएस तथा
एससीएसपी योजना के अन्तर्गत अप्रयुक्त रहा
(पैराग्राफ 2.3.10 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
	राजस्वःदत्तमत्			
	अनुदान सं. 4 – वित्त			
1.	3454 डी.1(1)(1)- सेवा क्षेत्रों का वार्षिक सर्वेक्षण (सी.एस.एस.)	5.00	0.00	5.00
2.	3454 डी.1(1)(2)(3)- भारतीय सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजन (आई.एस.एस.पी.) (सी.एस.एस.)	7.60	0.00	7.60
3.	3454 डी.1(1)(2)(7)- सांख्यिकी सुदृढीकरण के लिए समर्थन (सी.एस.एस.)	197.00	0.00	197.00
	अनुदान सं. 6 – शिक्षा			
4.	2202 ए.1(2)(7)(25)- विद्यालयों में आतिथ्यसत्कार तथा पर्यटन पाठ्यक्रम (सी.एस.एस.)	60.00	0.00	60.00
5.	2202 ए.1(2)(7)(26)- सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में सूचना तथा प्रसारण तकनीकी (सी.प्रप्र.त.) के अधीन केन्द्रीय शेयर	2000.00	0.00	2000.00
6.	2203 बी.1(4)(3)- पॉलिटेक्निक द्वारा समुदाय विकास (सी.एस.एस.)	100.00	0.00	100.00
7.	2203 बी.1(5)(12). तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों के लिए दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (त.शि.गु.सु.क.) (सी.एस.एस.)	450.00	0.00	450.00
8.	2203 बी.1(5)(13)- राज्य परियोजना सुविधा ईकाई तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	35.00	0.00	35.00
9.	2230 बी.2(1)(2)(3)- सरकारी आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन (सी.एस.एस.)	61.00	0.00	61.00
10.	2230 बी.2(1)(3)(2)- मौजूदा आई.टी.आई. में व्यापक आधारित कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट संयत्र क्रय के केन्द्रों उन्नयन (सी.एस.एस.)	100.00	0.00	100.00
11.	2230 बी.2(1)(3)(5)- शिल्प विकास प्रारंभ प्रणाली (सी.एस.एस.)	1017.00	0.00	1017.00
12.	2230 बी.2(1)(5)(3)-विश्व बैंक शेयर (एस.सी.एस.पी.) (सी.एस.एस.)	13.00	0.00	13.00
	अनुदान सं. 7 – चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य			
13.	2210 एफ.1(3)(1)(2)- मेडिकल कॉलेज में भौतिक औषधि व पुर्नवास विभाग में सुविधाओं का उन्नयन (सी.एस.एस.)	50.00	0.00	50.00
14.	2210 एफ.1(3)(1)(3)- मौजूदा नर्सिंग स्कूलों / कॉलेजों का सुदृढीकरण (सी.एस.एस.)	50.00	0.00	50.00
15.	2211 के.1(5)(1)- उप-केन्द्र (सी.एस.एस.)	50.00	0.00	50.00

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
16.	2210 ए.1(3)(1)(1)(2)-आयुष डिस्पेन्सरियों को आवश्यक औषधियाँ (सी.एस.एस.)	400.50	0.00	400.50
	अनुदान सं. 8 – समाज कल्याण			
17.	2235 ए.2(1)(1)(7)- मद्यपान तथा नशारवोरी (ड्रग्स) एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की रोकथाम के लिए सहायता (सी.एस.एस.)	19.00	0.00	19.00
18.	2236 ए.3(1)(2)(1)- मूक एवं बघिर छात्रों के लिए मिड-डे – मील (एस.सी.एस.पी.)	1.00	0.00	1.00
19.	2236 बी.3(1)(1)(3)-किशोरी शक्ति योजना(सी.एस.एस.)	22.00	0.00	22.00
20.	2225 सी.1(1)(1)(6)- दिलशाद गार्डन में परीक्षा-पूर्व कोचिंग के लिए नए केन्द्र (एस.सी.एस.पी.)	5.00	0.00	5.00
21.	2225 सी.1(1)(1)(9)- 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित मकानों के विद्युतीकरण हेतु सब्सिडी (अ.जा./ अ. ज.जा./ एस.सी.एस.पी.) के लिए हाउसिंग सब्सिडी	10.00	0.00	10.00
22.	2225 सी.1(1)(1)(13)- राजीव गांधी रत्न आवास योजना के अंतर्गत अ.जा. रस्तम निवासियों की आर्थिक सहायता हेतु डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान (एस.सी.एस.टी.)	100.00	0.00	100.00
23.	2225 सी.1(1)(1)(14)- एस.सी. (एस.सी.एस.पी.) हेतु शिक्षा हव	100.00	0.00	100.00
24.	2225 सी.1(1)(1)(15)-‘मातृ शिशु सुरक्षा योजना’ (एस. सी.एस.पी.) के अंतर्गत अ.जा. गर्भवती महिलाओं के लिए दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान	100.00	0.00	100.00
25.	2225 सी.1(1)(1)(16)- अ.जा. महिलाओं के लिए एन्टीनैन्टल केस इन्टीट्यूशनल डिलीवरी उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य आयोग को सहायता अनुदान	100.00	0.00	100.00
26.	2225 सी.1(1)(3)(6)- कोचिंग और संबंध योजनाएँ (पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण) (सी.एस.एस.)	5.00	0.00	5.00
27.	2225 सी.1(1)(3)(10)- मैट्रीक उपरान्त छात्रवृत्ति योजना (सी.एस.एस.)	300.00	0.00	300.00
28.	2225 सी.1(1)(4)(3)- अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस.)	50.00	0.00	50.00
29.	2225 सी.1(3)(2)(2)- डा. अम्बेडकर रत्न अवार्ड संस्थान (एस.सी.एस.पी.)	5.00	0.00	5.00
30.	3452 ई.1(2)(3)(4)- छावला एवं कंगनहेरी जल-क्रीड़ा निवास के लिए डी.टी. एण्ड टी.डी.सी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	140.00	0.00	140.00
31.	3452 ई.1(2)(3)(8)- दिल्ली हाट, आई.एन.ए., नई दिल्ली में नई सुविधायों के लिए डी.टी.एण्ड.टी.डी.सी. को सहायता अनुदान	15.00	0.00	15.00
32.	3452 ई.1(2)(3)(9)- इंगिफेर्स्ट के आयोजन हेतु डी.टी. एण्ड टी.डी.एस. को सहायता अनुदान	4.00	0.00	4.00
33.	3452 ई.1(1)(1)(2)- जनक पुरी में दिल्ली हाट के विकास के लिए डी.टी.एण्ड.टी.डी.सी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	1552.00	0.00	1552.00

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
34.	3452 ई.1(2)(3)(11)- दिल्ली में त्यौहारों के आयोजन के लिए डी.टी.एण्ड.टी.डी.सी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	50.00	0.00	50.00
35.	3452 ई.1(2)(3)(12)- अतुल्य भारतीय त्यौहार के आयोजन के लिए डी.टी.एण्ड.टी.डी.सी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	15.00	0.00	15.00
	अनुदान सं. 9 – उद्योग			
36.	2851 ए.2(3)(7)- लघु उद्योग के साखियकी की वसूली (सी.एस.एस.)	35.00	0.00	35.00
37.	2851 ए.2(5)(6)- ई.बिज पोर्टल के साथ सेवाओं का एकीकरण (सी.एस.एस.)	172.07	0.00	172.07
38.	2851 ए.2(6)(6)- हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर छूट (सी.एस.एस.)	190.00	0.00	190.00
39.	2851 ए.2(6)(7)- दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के लिए हैण्डलूम को प्रोत्साहन (सी.एस.एस.)	330.00	0.00	330.00
40.	2851 ए.2(9)(1)-हस्ताशिल्प को प्रोत्साहन (एस.सी.एस.पी.)	1.00	0.00	1.00
41.	2230 सी.2(1)(5)(2)- बाल श्रमिक का पुर्नवास (एस.सी.एस.सी.)	50.00	0.00	50.00
42.	3456 डी.1(3)(2)- उपभोक्ता जागरूकता अभियान (सी.एस.एस.)	10.00	0.00	10.00
43.	3456 डी.1(5)(1)- ई.डब्ल्यू.एस. के लिए केरेसिन-फ्री सिटी एल.पी.जी. कनैक्शन (एस.सी.एस.पी.)	1.00	0.00	1.00
44.	3456 डी.1(5)(2)- ई.डब्ल्यू.एस. के लिए अनन्त्री योजना (एस.सी.एस.पी.)	240.00	0.00	240.00
	अनुदान सं. 10 – विकास			
45.	2401 बी.1(10)(2)- कृषि का माक्रो प्रबंधन (सी.एस.एस.)	10.00	0.00	10.00
46.	2402 बी.2(2)(1)- मृदा परीक्षण तथा मृदा सुधार तथा सेलाइन (एस.सी.एस.पी.)	1.00	0.00	1.00
47.	2403 बी.3(2)(6)(1)- पाँव तथा मुख सम्बन्धी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम (एस.सी.एस.पी.)	5.00	0.00	5.00
48.	2403 बी.3(2)(7)(1)- सामान्य संघटक (सी.एस.एस.)	5.00	0.00	5.00
49.	2403 बी.3(2)(10)- लाइव स्टॉक हैल्थ एण्ड डिसीज कन्ट्रोल प्रोग्राम (एल.एच.एण्ड.डी.सी.) (सी.एस.एस.)	5.00	0.00	5.00
50.	2245 ई.7(2)(1)(2)- भूकम्प जोखिम प्रबन्धन हेतु क्षमता भवन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	50.00	0.00	50.00
51.	2245 ई.7(2)(1)(3)- राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	100.00	0.00	100.00
52.	2506 ई.9(1)(1)- भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सी.एस.एस.)	48.00	0.00	48.00
53.	2070 ई.15(1)(1)(2)-सिविल सुरक्षा का पुर्नगठन (सी.एस.एस.)	50.00	0.00	50.00
54.	2406 एफ.2(2)(1)(4)- पशुओं की देखभाल के लिए शैल्टर –हाऊस का प्रावधान (सी.एस.एस.)	2.00	0.00	2.00

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
55.	2406 एफ.2(2)(1)(5)- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य असोला भाटी बन्यजीव अभ्यारण का विकास (सी.एस.एस.)	5.00	0.00	5.00
56.	3435 आर.1(2)(2)(1)- समाज के कमज़ोर वर्गों में सुधार तथा पर्यावरण के उन्नयन की जटिलता(एस.सी.एस.पी.)	1.00	0.00	1.00
57.	3435 आर.1(3)(2)(1)-पर्यावरण के उन्नित, सरक्षण तथा परिरक्षण में एन.जी.ओ. को सहायता (एस.सी.एस.पी.)	4.00	0.00	4.00
	अनुदान सं. 11 –शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग			
58.	2215 ए.6(2)(1)(8)- राष्ट्रीय नदी सरक्षण कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	6213.00		6213.00
59.	2216 ए.7(1)(2)(1)- कमज़ोर वर्गों के लिए गृह निर्माण हेतु डी.यू.एस.आई.बी.को अनुदान (सी.एन.एन.यू.आर.एम) (एस.सी.एस.पी.)	3000.00	0.00	3000.00
60.	2216 ए.7(1)(2)(2)- कमज़ोर वर्गों के लिए गृह निर्माण हेतु डी.यू.एस.आई.बी.को अनुदान (सी.एस.आई.डी.सी.) (एस.सी.एस.पी.)	2000.00	0.00	2000.00
61.	2216 ए.7(1)(2)(3)- राजीव आवास योजना (सी.यू.यू.एस.आई.बी.) (एस.सी.एस.पी.)	200.00	0.00	200.00
62.	2217 ए.8(2)(3)(3)-धोबी घाटों के निर्माण एवं सुधार के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	200.00	0.00	200.00
63.	2217 ए.8(2)(3)(3)-धोबी घाटों के निर्माण एवं सुधार के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	100.00	0.00	100.00
64.	2217 ए.8(2)(3)(3)-धोबी घाटों के निर्माण एवं सुधार के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	150.00	0.00	150.00
65.	3475 ए.14(1)(2)- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (सी.एस.एस.)	4000.00	0.00	4000.00
	राजस्व : दत्तमत्त			
	अनुदान सं. 7 – विकित्सा तथा जन स्वास्थ्य			
66.	2210 एबी.1(1)(1)(1)- लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एस.सी.एस.पी.)	5.00	0.00	5.00
	पूंजीगत – दत्तमत्त			
	अनुदान सं. 6 – शिक्षा			
67.	4202 जीजी.1(1)(1)(4)- डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा स्मारकों का सरक्षण प्रदीपन (सी.एस.एस.)	400.00	0.00	400.00
	अनुदान सं. 8 – समाज कल्याण			
68.	6225 सीसी.2(1)(1)(1)- अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. अल्पसंख्यक के लिए दिल्ली स्वरोजगार योजना हेतु डी.एस.एफ.डी.सी. को क्रत्ता (एस.सी.एस.पी.)	1800.00	0.00	1800.00
69.	5452 ईई.1(1)(2)(1)- पीतमपुरा में दिल्ली हाट का विकास (सी.एस.एस.)	10.00	0.00	10.00
	कुल	26582.17	0.00	26582.17

परिशिष्ट—2.10
वर्ष 2014–15 के अन्त में व्यय का द्रुतप्रवाह
(पैराग्राफ 2.3.11को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम व सं.	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान किए गए व्यय (2014–15)		मार्च 2015 में किए गए व्यय	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1.	06: शिक्षा	4202 ए.1(1)(1) (1)-वी.के.एस. योजना द्वारा स्कूल की बिलिंग का निर्माण	29.40	28.63	20.78	72.58	16.81	58.71
2.	07: विकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210 ए.1(1)(4) (10)(2)-पूर्जीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान – योजना	15.00	15.00	11.25	75.00	11.25	75.00
3.		2210 ए.1(3)(3) (6)(1)-स.अ.–सामान्य–योजना	24.50	24.50	17.00	69.39	17.00	69.39
4.		2210 ए.1(3)(3)(6)	40.00	40.00	28.00	70.00	28.00	70.00
5.		5035 डीडी.1(4)- नये बस टर्मिनल हेतु भूमि का क्रय	60.80	60.80	59.09	97.19	58.45	96.13
6.	08: समाज कल्याण	2225 सी.1(1)(3)(9)-प्रतिलिपि स्कूल प्लान में टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति	25.00	24.35	14.48	59.47	14.25	58.52
7.		7055 डीडी.4(1) (2)-एम.आर.डी.एस. प्लान के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सहायक ऋण	40.51	40.51	40.51	100.00	40.51	100.00
8.	09 : उद्योग	3456 डी.1(3)(1)-गरीबी रेखा से नीचे को ध्यान में रखते हुए जन-वितरण की सशक्तता	30.36	29.94	20.84	69.61	19.57	65.36
9.		2215 ए.6(1)(1) (1)(2)-पूर्जीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान–योजना	110.00	110.00	80.00	72.73	60.00	54.55

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

10.		2215 ए.6(2)(1) (6)(1)- पूँजीगत परिस्थितियों के सृजन के लिए अनुदान—योजना	125.00	125.00	85.63	68.50	85.63	68.50
11.		2217 ए.8(2)(1)(3) (3)(1)- स.अ. — सामान्य—योजना	70.00	70.00	37.50	53.57	37.50	53.57
12.		2217 ए.8(2)(1) (24)(3)(1)- स.अ.—सामान्य — योजना	20.00	20.00	15.50	77.50	15.50	77.50
13.		2217 ए.8(2)(1)(25) (2)(1)- स.अ.—सामान्य — योजना	18.04	18.04	11.04	61.20	11.04	61.20
14.		2217 ए.8(2)(3)~ (9)(1)- पूँजीगत परिस्थितियों के सृजन के लिए अनुदान — योजना	24.00	24.00	18.38	76.58	18.38	76.58
15.	11: शहरी विकास एवं लोक निर्माण	3054 ए.12(1)(1) (3)(1)- पूँजीगत परिस्थितियों के सृजन के लिए अनुदान — योजना	99.00	99.00	65.25	65.91	65.25	65.91
16.		6215 एए 2(2)(1) (13)- जे.एन.एन.यू. आर.एम. परियोजना के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण—योजना	354.47	354.47	340.37	96.02	340.37	96.02
17.		2801 ई.2(2)(1) (5)(1). स.अ.—सामान्य—गैर योजना	350.00	350.00	196.00	56.00	196.00	56.00
18.		4801 ईई.2(1) (2)(1)-भूमि का क्रय—योजना	100.00	85.33	63.45	74.36	63.45	74.36
19.		2217 ए.8(2)(1) (24)(1)(1)- स.अ.—सामान्य—योजना	35.00	35.00	35.00	100.00	35.00	100.00
20.		6801 ईई.1(5) (2)- दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड योजना को ऋण	195.00	195.00	195.00	100.00	195.00	100.00
		कुल	1766.08	1749.57	1355.07		1328.96	

परिशिष्ट-2.11

पूंजीगत शीर्ष के बजाय राजस्व शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण की सारणी
(पैराग्राफ 2.5 (ख) को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की सं. तथा नाम	अनुदानों के लिए दी गई मांग में वास्तविक अनुदान/विनियोग (डी.डी.डी.जी.)	व्यय
	अनुदान सं. 4.वित्त		
1.	2039 ई.1(1)(1)(6)- मोटर वाहन (2039 00 001 99 00 51)	0.06	0.05
2.	2039 ई.1(3)(1)(8)- मोटर वाहन (2039 00 104 99 00 51)	0.06	0.02
3.	2040 एफ.1(3)(4)(5)- मोटर वाहन (2040 00 800 81 00 51)	2.85	1.48
	अनुदान सं. 5 गृह		
4.	2056 ए.1(1)(1)(8)- मोटर वाहन (2056 00 001 99 00 51)	1.10	0.10
5.	2070 सी.1(1)(2)(9)- मोटर वाहन (2070 00 108 99 00 51)	4.00	3.95
6.	2055 डी.1(1)(1)(7)- मोटर वाहन (2055 00 116 99 00 51)	0.15	0.02
	अनुदान सं.6 शिक्षा		
7.	2203 बी.1(5)(5)(12)- मोटर वाहन (2203 00 112 66 00 51)	0.005	0.002
8.	2205 जी.1(1)(1)(6)- मोटर वाहन (2205 00 103 99 00 51)	0.10	-
	अनुदान सं.7.चिकित्सा जन स्वास्थ्य		
9.	2210 बी.1(1)(1)(10)- मोटर वाहन (2210 01 110 86 00 51)	0.48	0.05
10.	2210 सी.1(1)(1)(9)- मोटर वाहन (2210 01 110 87 00 51)	0.075	0.08
11.	2210 एफ.1(1)(1)(6)- मोटर वाहन (2210 01 110 53 00 51)	0.12	0.06
12.	2210 एच.1(1)(1)(6)- मोटर वाहन (2210 05 105 99 99 51)	0.085	0.05
13.	2210 टी.1(1)(1)(7)- मोटर वाहन (2210 01 110 30 00 51)	0.0075	0.006
14.	2210 डब्ल्यू.1(1)(1)(7)- मोटर वाहन (2210 01 110 77 00 51)	0.01	0.001
15.	2210 एबी.1(1)(1)(7)- मोटर वाहन (2210 01 789 97 00 51)	0.07	0.05
16.	2210 एसी.1(1)(1)(7)- मोटर वाहन (2210 01 110 40 00 51)	0.02	0.01
17.	2210 एई.1(1)(1)(9)- मोटर वाहन (2210 01 789 95 00 51)	0.08	0.02
18.	2210 एएफ.1(1)(1)(6)- मोटर वाहन (2210 01 110 79 00 51)	0.05	0.009
19.	2210 एआई.1(1)(1)(1)(7)- मोटर वाहन (2210 02 102 60 99 51)	0.01	0.005
	अनुदान सं.9. उद्योग		
20.	2230 सी.1(1)(1)(6)- मोटर वाहन (2230 01 001 99 00 51)	0.20	शून्य
	अनुदान सं. 10. विकास		
21.	2403 बी.3(1)(1)(8)- मोटर वाहन (2403 00 001 99 00 51)	0.02	0.01
22.	2070 ई.15(1)(1)(7)- मोटर वाहन (2070 00 800 64 99 51)	0.25	शून्य
	कुल	9.8025	5.973
	अनुदान सं.5 - गृह		
23.	2070 बी.1(1)(1)(6)- मशीनरी, उपकरण, यंत्र एवं संयंत्र (2070 00 106 95 00 52)	0.12	0.06

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

24.	2070 सी.1(1)(2)(7)-मशीनरी तथा उपकरण (2070 00 108 99 00 52)	10.00	2.57
25.	2055 डी.1(1)(1)(6)-मशीनरी तथा उपकरण (2055 00 116 99 00 52)	14.25	2.19
	अनुदान सं.6 शिक्षा		
26.	2203 बी.1(4)(1)(6)-मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 105 86 00 52)	2.00	1.15
27.	2203 बी.1(5)(1)(6)-मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 72 00 52)	0.29	0.37
28.	2203 बी.1(5)(5)(8)-मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 66 00 52)	2.00	0.10
29.	2230 बी.2(1)(2)(1)(9)-मशीनरी तथा उपकरण (2230 03 003 99 00 52)	3.45	2.12
30.	2203 सी.1(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 63 00 52)	1.28	0.64
31.	2205 जी.1(1)(1)(7)-मशीनरी तथा उपकरण (2205 00 103 99 00 52)	0.05	0.0009
32.	2203 आई.1(1)(1)(1)(6)-मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 65 99 52)	1.50	0.84
33.	2203 के.1(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 64 00 52)	0.50	0.16
	अनुदान सं.7.चिकित्सा जन स्वास्थ्य		
34.	2210 बी.1(1)(1)(1)(7)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 86 00 52)	15.50	27.87
35.	2210 सी.1(1)(1)(1)(7)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 87 00 52)	9.50	8.26
36.	2210 डी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 89 00 52)	0.80	शून्य
37.	2210 ई.1(1)(1)(1)(6)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 91 00 52)	19.70	2.27
38.	2210 एफ.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 93 00 52)	24.10	4.85
39.	2210 जी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 97 00 52)	5.50	4.72
40.	2210 एच.1(1)(1)(1)(7)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 05 105 99 99 52)	4.00	1.70
41.	2210 एल.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 62 00 52)	5.00	2.65
42.	2210 एम.1(1)(1)(1)(10)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 101 69 00 52)	0.005	0.001
43.	2210 एम.1(1)(2)(2)(7)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 102 63 00 52)	0.15	0.10
44.	2210 एन.1(1)(1)(1)(4)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 67 00 52)	5.00	0.79

45.	2210 पी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 17 00 52)	0.75	0.10
46.	2210 क्यू.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 27 00 52)	1.00	0.28
47.	2210 एस.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 16 00 52)	0.30	0.02
48.	2210 टी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 30 00 52)	1.00	0.42
49.	2210 यू.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 26 00 52)	0.48	शून्य
50.	2210 वी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 29 00 52)	0.37	0.30
51.	2210 डल्ब्य.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 77 00 52)	1.50	0.36
52.	2210 एक्स.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 78 00 52)	1.80	0.33
53.	2210 वाई.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 23 00 52)	0.71	0.85
54.	2210 जैड.1(1)(1)(1)(8)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 85 00 52)	1.20	0.61
55.	2210 एबी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 97 00 52)	2.10	2.49
56.	2210 एसी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 40 00 52)	4.90	0.72
57.	2210 एडी.1(1)(1)(1)(4)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 96 00 52)	1.20	1.39
58.	2210 एई.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 95 00 52)	1.10	0.99
59.	2210 एएफ.1(1)(1)(1)(8)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 79 00 52)	3.50	2.46
60.	2210 एजी.1(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 65 00 52)	2.40	0.14
61.	2210 एएच.1(1)(1)(1)(9)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 101 71 00 52)	2.00	शून्य
62.	2210 एआई.1(1)(1)(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 102 60 99 52)	0.05	0.02
63.	2210 एजे.1(1)(1)(1)(1)(8)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 102 60 98 52)	0.10	शून्य
अनुदान सं.10.विकास			
64.	2405 बी.5(2)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण(2405 00 101 88 00 52)	0.001	0.0007
65.	2711 डी.3(1)(2)(1)- औजार तथा संयंत्र (2711 01 052 99 00 52)	0.03	0.03
66.	2711 डी.3(2)(1)(1)- औजार तथा संयंत्र (2711 03 052 99 00 52)	0.02	0.02

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

67.	2070 ई.15(1)(1)(6)-मशीनरी तथा उपकरण (2070 00 800 64 99 52)	1.50	शून्य
	कुल	152.706	74.9426
	अनुदान सं.11 – शहरी विकास लोक निर्माण		
68.	2059 बी.1(1)(2)- निर्माण (2059 80 051 00 00 53)	7.50	3.82
69.	2216 बी.2(1)(1)- निर्माण (2211 01 106 98 00 53)	2.50	1.90
	कुल	10.00	5.72
	सकल कुल	172.509	86.636

परिशिष्ट—2.12
बचतें जो लौटाई नहीं गई
(पैराग्राफ 2.6(ii) को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	खण्ड	बचत की धनराशि	लौटाई गई बचतों की धनराशि	धनराशि जो लौटाई नहीं गई
1	2012-13	राजस्व दत्तमत	16.07	3.26	12.81
2	2013-14	राजस्व दत्तमत	18.68	3.40	15.28
3	2014-15	राजस्व दत्तमत	43.84	9.98	33.86
4	2012-13	राजस्व भारित	2.35	शून्य	2.35
5	2013-14	राजस्व भारित	3.82	शून्य	3.82
6	2014-15	राजस्व भारित	2.01	0.77	1.24
कुल			86.77	17.41	69.36

परिशिष्ट—2.13
अनावश्यक पूरक प्रावधान 2012-13 से 2014-15 तक
(पैराग्राफ 2.6 (iii) को देखें)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों में से बचत	पूरक प्रावधान
1	2012-13	2012-1(1)(1) सचिवालय (भारित)	552.70	493.95	58.75	17.50
2	2012-13	2012-1(1)(2) सं.क्षे. के प्रशासक के पारिश्रमिक एवं भत्ते	15.00	12.14	2.86	1.40
3	2013-14	2012-ए1(1)(6) राज्य परिवहन एवं मोटर कार	57.40	54.92	2.48	1.80
4	2013-14	2220-एफ1(2)(1)(1)(1) पत्रकार के लिए सहायता	शून्य	शून्य	1.00	1.00
5	2013-14	2012-ए1(1)(2) सं.शा.प्र. के प्रशासकों का पारिश्रमिक व भत्ते	17.00	14.18	2.82	1.80
6	2014-15	2055-सी8(1)(1)(1) सहायता अनुदान - सामान्य	शून्य	शून्य	1443.00	1443.00
7.	2014-15	2051-जी1(1)(1) दिल्ली सरकार का स्टाफ चयन बोर्ड (भारित)	शून्य	शून्य	5.50	5.50
कुल			642.10	575.19	1516.41	1472.00

परिशिष्ट 3.1

निकायों / प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली विवरणी
(पैराग्राफ 3.2 को देखें)

क्र. सं.	निकायों / प्राधिकरणों के नाम	लेखों की लेखापरीक्षा का नि.म.ले.प. को सौंपेजाने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखें जमा कराए गए	जिस अवधि तक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (प्र.ले.प.प्र.) जारी की गई	विधायिका में प्रस्तुत की गई पू.ले.प.प्र.	वर्ष जिनके देखे देय हैं	लेखे जमा करने में विलम्ब की अवधि (वर्ष में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6वाँ	(7)	(8)
1.	दिल्ली कल्याण समिति(दि.क.स.)	2004-05 से 2013-14	2013-14	2012-13	विधायिका में पेश नहीं की गई	-	-
2.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (गु.गो.सि.इ.प्र.वि.)	सी.ए.जी के डी.पी.सी. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2013-14	2012-13	स्थिति प्रतीक्षित	-	-
3.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (ने.सु.प्रौ.सं.)	2012-13 से	2012-13	2011-12	1999-2003	2013-14	1
4.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बॉ.)	2016-17	2008-09	2007-08	2003-04	2009-10 से 2013-14 तक	5
5.	दिल्ली भवन तथा अन्यनिर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड	सी.ए.जी के डी.पी.सी. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2013-14	2011-12	स्थिति प्रतीक्षित	-	-
6.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक विकलांग वित्तीय विकास निगम लि.	सी.ए.जी के डी.पी.सी. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2004-05	2003-04	2004-05 से 2013-14 तक	-	10
7.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.वि.से.प्रा.)	सी.ए.जी के डी.पी.सी. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2013-14	2013-14	स्थिति प्रतीक्षित	-	-
8.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (दि.वि.नि.आ.)	सी.ए.जी के डी.पी.सी. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2013-14	2013-14	2013-14	-	-
9.	अर्थेडकर विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली	सी.ए.जी के डी.पी.सी. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2013-14	2010-11	स्थिति प्रतीक्षित	-	-